



राजस्थान सरकार

कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी

(Website:- <http://www.ceorajasthan.nic.in>)

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4(1) के अधीन प्रकाशित सूचना पुस्तिका

निर्वाचन विभाग, राजस्थान
जयपुर-302001

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत प्रकाशन

इन्डेक्स

क्र.सं.	अध्याय	पृष्ठ संख्या
1.	परिचय	3-4
2.	संगठन की विशिष्टियां, कृत्य और कर्तव्य	5-12
3.	कृत्यों के निर्वहन के लिए पर्यवेक्षण और दायित्व की प्रणालियों और विहित मानकों सहित विनिश्चय करने की प्रक्रिया में अपनायी जाने वाली प्रक्रिया	13-23
4.	राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के चुनाव	24
5.	संसद और राज्य विधान मण्डलों के सदस्यों की निरर्हताएं	25-29
6.	अभ्यर्थी का नाम निर्देशन	30
7.	जिला निर्वाचन अधिकारियों के दूरभाष/फैक्स संख्यांक एवं संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के लिए रिटर्निंग आफिसरों की सूची	31-32
8.	राजस्थान के विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए रिटर्निंग आफिसरों की सूची एवं लोक सभा के लिए रिटर्निंग आफिसरों की सूची	33-39
9.	निर्वाचन विभाग के अधिकारियों के पदनाम और कार्यालय/आवास दूरभाष संख्यांक	40
10.	13वीं विधानसभा, 2008 के निर्वाचित सदस्यों की सूची	41-47
11.	कृत्यों के निर्वहन के लिए नियम, विनियमन, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख	48-49
12.	दस्तावेजों के प्रवर्गों के दिवस जो उसके नियन्त्रणाधीन रखे जाते हैं	50
13.	मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय के प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक	51
14.	बजट आवंटन	52
15.	अन्य सूचनाएँ जो विहित की जाएँ	53-55

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4 (1) के अधीन सूचना पुस्तिका

अध्याय 1

परिचय

1.1 इस पुस्तिका की पृष्ठभूमि, उद्देश्य और प्रयोजन

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (2005 का केन्द्रीय अधिनियम 22) प्रत्येक लोक प्राधिकारी के कार्य विधि में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व के संवर्द्धन के लिए लोक प्राधिकारियों के नियंत्रणाधीन सूचना तक पहुँच सुनिश्चित करने के लिए नागरिकों के सूचना के अधिकार की व्यावहारिक शासन पद्धति स्थापित करने हेतु उपबंध करने के लिए अधिनियमित किया गया है। सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 4 (1) के अधीन यह प्रकाशन निर्वाचन-प्रशासन से संबंधित लोक प्राधिकारियों के दायित्वों को रेखांकित करता है।

1.2 इस पुस्तिका के प्रयोगकर्ता

जनसाधारण, राजनैतिक दल, निर्वाचन प्रशासन से संबंधित अधिकारी और कर्मचारी इस पुस्तिका के प्रयोगकर्ता होंगे।

1.3 सूचना का संगठन

इस पुस्तिका में सूचना का संगठन अनुक्रमणिका में दिए गए अध्यायों के क्रमानुसार दिया गया है।

1.4 सम्पर्क व्यक्ति

लोक सूचना अधिकारी अर्थात् संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी और शासन उप सचिव और सहायक लोक सूचना अधिकारी अर्थात् सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी, (निर्वाचन) निर्वाचन विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।

1.5 सूचना प्राप्त करने के लिए प्रक्रिया और फीस का ढांचा

(शा. आदेश सं. एफ 9 (23) गृह-5/2005 दिनांक 06.06.2006)

(क) अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) के अधीन सूचना करने के लिए प्रत्येक आवेदन के साथ लेखाशीर्ष "0070-विविध सामान्य सेवा 02- निर्वाचन, 800 अन्य प्राप्तियां, 05 विविध फीस" में नकद या मांगदेय ड्राफ्ट या बैंकर्स चैक की मार्फत 10/- रुपये की आवेदन फीस होगी। आवेदक कोषागार/भुगतान और लेखा कार्यालय/भारतीय स्टेट बैंक/भारतीय रिजर्व बैंक में उपर्युक्त खाता शीर्ष के अधीन भी फीस भेज सकेगा और फीस भेज दिये जाने के साक्ष्य के रूप में चालान को लोक सूचना अधिकारी को प्रस्तुत कर सकेगा।

(ख) अधिनियम की धारा 7 की उप-धारा (1) के अधीन सूचना उपलब्ध कराने के लिए फीस समुचित रसीद के पेटे नकद या उपर्युक्त खाता शीर्ष में संदेय मांगदेय ड्राफ्ट या बैंकर्स चैक द्वारा निम्नलिखित दरों पर प्रभारित की जायेगी :-

- (i) सृजित या प्रतिलिपि किये गये प्रत्येक पृष्ठ (ए-4 या ए-3 आकार के कागज में) के लिए दो रुपये;
 - (ii) बड़े आकार के कागज में प्रतिलिपि का वास्तविक प्रभार या लागत कीमत;
 - (iii) सैम्पलों या मॉडलों के लिए वास्तविक लागत या कीमत; और
 - (iv) अभिलेखों के निरीक्षण के लिए, पहले एक घण्टे के लिए कोई फीस नहीं होगी और उसके पश्चात् के प्रत्येक पन्द्रह मिनट (या उसके भाग) के लिए फीस पांच रुपये की होगी।
- (ग) धारा 7 की उप-धारा (5) के अधीन सूचना उपलब्ध कराने के लिए फीस समुचित रसीद के पेटे नकद या उपर्युक्त खाता शीर्ष में संदेय मांगदेय ड्राफ्ट या बैंकर्स चैक द्वारा निम्नलिखित दरों पर प्रभारित की जायेगी: –
- (i) डिस्कट या फ्लोपी में उपलब्ध करायी गयी सूचना के लिए प्रति डिस्कट या फ्लोपी 50/-रुपये ; और
 - (ii) मुद्रित प्ररूप में उपलब्ध करायी गयी सूचना के लिए प्रकाशन के लिए नियत कीमत।

गरीबी रेखा से नीचे के व्यक्तियों को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अधीन सूचना प्राप्त करने के लिए उपर्युक्त पैरा में वर्णित फीस के संदाय से छूट दी गयी है। ग्राम पंचायत और स्थानीय निकायों द्वारा यथा-अनुमोदित गरीबी रेखा से नीचे के व्यक्तियों की सूची रियायतों का दावा करने का आधार होगी और उस सूची का प्रमाणित उद्धरण इस रियायत को प्राप्त करने के लिए पर्याप्त होगा।

अध्याय 2

संगठन की विशिष्टियां, कृत्य और कर्तव्य

नाम और पता मुख्य निर्वाचन अधिकारी और प्रमुख शासन सचिव, निर्वाचन विभाग के अधीन निर्वाचन विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर-302001

2.2 विधिक अवस्थिति और सृजन

संविधान के अनुच्छेद 324 के अधीन संसद् और प्रत्येक राज्य की विधान सभा के निर्वाचनों तथा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचनों के लिए निर्वाचक नामावली तैयार कराने का और उन सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण भारत निर्वाचन आयोग में निहित है, जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों से मिलकर बना है। राज्य स्तर पर, निर्वाचन कार्य का पर्यवेक्षण भारत निर्वाचन आयोग के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण के अधीन मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा किया जाता है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी साधारणतया भारतीय प्रशासनिक सेवा का वरिष्ठ अधिकारी होता है और इसलिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी को मुख्य निर्वाचन अधिकारी और प्रमुख शासन सचिव, निर्वाचन विभाग के रूप में पदनामित किया जाता है। जिला स्तर पर क्षेत्र का प्रशासन जिला निर्वाचन अधिकारियों (साधारणतया कलक्टरों और जिला मजिस्ट्रेटों), निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों (साधारणतया उप-खण्ड मजिस्ट्रेटों) और सहायक निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (साधारणतया तहसीलदारों) द्वारा चलाया जाता है जो निर्वाचक नामावलियां तैयार करने और उनका रख रखाव करने के लिए उत्तरदायी होते हैं। सभी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी और सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी विधानसभा के निर्वाचन क्षेत्रों के लिए क्रमशः रिटर्निंग ऑफिसर और सहायक रिटर्निंग ऑफिसरों के रूप में अधिसूचित किये जाते हैं। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 13क के अनुसार निम्नलिखित का क्रियान्वयन करने के लिए राजस्थान में मुख्य निर्वाचन अधिकारी का कार्यालय स्थायी आधार पर अप्रैल, 1957 में स्थापित किया गया था :-

2.3 कृत्य और कर्तव्य

2.3.1 निम्नलिखित के निर्वाचनों और उप-निर्वाचनों का संचालन -

क राजस्थान विधानसभा के 200 विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए

ख राजस्थान को आवंटित लोकसभा के 25 स्थानों के लिए।

नोट: ये दो निर्वाचन वे निर्वाचन हैं जिनमें राज्य के निर्वाचक सीधे भाग लेते हैं।

2.3.2 राजस्थान को आवंटित राज्य सभा के 10 स्थान

राज्य सभा में राज्य के प्रतिनिधि एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं।

2.3.3 भारत के राष्ट्रपति का पद

राष्ट्रपति का निर्वाचन ऐसे निर्वाचकगण के सदस्य करेगें जिसमें (क) संसद् के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, और (ख) राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होंगे।

2.3.4 भारत के उप राष्ट्रपति का पद

उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, संसद् के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचकगण के सदस्यों द्वारा एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार होगा।

नोट : ये निर्वाचन अप्रत्यक्ष निर्वाचन हैं जहां मतदान निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है।


2.4 निर्वाचन से संबंधित सभी अधिकारियों का यह सुनिश्चित करने का कर्तव्य है कि निर्वाचन स्वतंत्र और निष्पक्ष रीति से और सभी सुसंगत अधिनियमों, नियमों और भारत निर्वाचन आयोग के कार्यपालक निदेशों के अनुसार संचालित हों।

2.5 त्रुटि रहित और अद्यतन निर्वाचक नामावली तैयार करना।


2.6 सभी सद्भावी निर्वाचकों को निर्वाचक फोटो पहचान पत्र का उपबंध।

2.7 संरचना

2.7.1 साधारण संरचना



2.7.2 राज्य स्तरीय विभाग की संरचना



व. निजी सहायक (1), कार्यालय अधीक्षक (1), कार्यालय सहायक (3), वरिष्ठ लिपिक (5), कनिष्ठ लिपिक (6) सहायक लेखाधिकारी (2), लेखाकार (2), कनिष्ठ लेखाकार (4), प्रोग्रामर (1), सहायक प्रोग्रामर (2), सूचना सहायक (2), विधि सहायक (1) और सांख्यिकी सहायक (1), आशुलिपिक (1),

2.7.3 जिला स्तरीय संरचना

सभी जिला निर्वाचन अधिकारी, रिटर्निंग ऑफिसर और सहायक रिटर्निंग ऑफिसर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा राज्य सरकार के साथ परामर्श से अधिसूचित किये जाते हैं।

जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर)	– संख्या 33,	(33 जिले)
उप जिला निर्वाचन अधिकारी	– संख्या 33 ,	(33 जिले)
तहसीलदार निर्वाचन	– संख्या 33,	(33 जिले)
निर्वाचन स्टाफ	– जिला निर्वाचन अधिकारी, कार्यालय – 101	
	– निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी कार्यालय–297	

2.8 कार्यालय समय

उपयुक्त सभी कार्यालयों का कार्यालय समय सभी कार्य दिवसों में 9.30 बजे से 18.00 बजे तक है जिसमें 13.30 बजे से 14.00 बजे तक का भोजनावकाश है। (प्रत्येक शनिवार को छोड़कर सोमवार से शुक्रवार)

नोट : सूचना का अधिकार अधिनियम/नियमों के अधीन आवेदन/अर्जियां केवल कार्य दिवसों में कार्यालय समय के दौरान ही स्वीकार की जायेंगी।

2.9 शिकायत निराकरण तंत्र

राजस्थान के नागरिकों से निर्वाचन के विषय से संबंधित अभ्यावेदन/वास्तविक शिकायतें सभी कार्य दिवसों में कार्यालय समय के दौरान मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय में और जिला निर्वाचन अधिकारियों और निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों के कार्यालयों में भी प्राप्त की जाती हैं।

2.10 अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां और कर्तव्य

2.10.1 निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी

प्रत्येक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली ऐसे निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा तैयार और पुनरीक्षित की जायेगी जो सरकार का या किसी स्थानीय प्राधिकारी का ऐसा अधिकारी होगा जिसे निर्वाचन आयोग, उस राज्य सरकार के परामर्श से, जिसमें वह निर्वाचन क्षेत्र स्थित है, इस निमित्त पदाभिहित या नामनिर्दिष्ट करे।

- (i) निर्वाचक नामावलियों का वार्षिक अद्यतनकरण जिसमें प्रत्येक वर्ष जनवरी की पहली तारीख अर्हक तारीख होगी
- (ii) निर्वाचक फोटो पहचान पत्र तैयार करना और जारी करना
- (iii) निर्वाचक नामावलियों और निर्वाचक फोटो पहचान पत्रों से संबंधित शिकायतों का निराकरण।

2.10.2 सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी

निर्वाचन आयोग किसी भी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की उसके कृत्यों का निर्वहण करने में सहायता करने के लिए सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी नियुक्त कर सकेगा और वह निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के नियंत्रण के अधीन रहते हुए निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के सभी या किन्हीं कृत्यों का पालन करने के लिए सक्षम होगा।

2.10.3 जिला निर्वाचन अधिकारी

संघ राज्य क्षेत्र को छोड़कर, राज्य के प्रत्येक जिले के लिए भारत निर्वाचन आयोग, उस राज्य की सरकार के परामर्श से, मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण के अधीन जिले में, या अपनी अधिकारिता के भीतर के क्षेत्र में जिले के भीतर के सभी संसदीय और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए निर्वाचक नामावलियां तैयार करने, पुनरीक्षित करने और सही करने के संबंध में समस्त कार्यों का समन्वय और पर्यवेक्षण करने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी पदाभिहित या नामनिर्दिष्ट करेगा जो सरकार का अधिकारी होगा। जिला निर्वाचन अधिकारी जिले में या अपनी अधिकारिता के भीतर के क्षेत्र में संसद् और राज्य के विधान मण्डल के सभी निर्वाचनों के संचालन के संबंध में समस्त कार्य का समन्वय और पर्यवेक्षण करेगा। जिला निर्वाचन अधिकारी ऐसे अन्य कृत्यों का भी पालन करेगा जो उसे निर्वाचन आयोग और मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा सौंपे जायें।

(क) निर्वाचक नामावली से संबंधित कार्य

- (i) दावों और आक्षेपों के बारे में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा किये गये कतिपय विनिश्चयों के लिए अपील प्राधिकारी के रूप में कार्य करना ;

- (ii) निर्वाचन से संबंधित शिकायत—निराकरण ;
- (iii) निर्वाचनों के संचालन से संबंधित कतिपय कर्तव्य ;
- (iv) निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कार्य का समन्वय करना और उसे सुकर बनाना ।

(ख) निर्वाचनों के संबंध में जिला निर्वाचन अधिकारी के कर्तव्य

- (i) निर्वाचन आयोग के पूर्व अनुमोदन से, मतदान केन्द्रों का चयन (और उचित समय पर स्थापन) ;
- (ii) प्रत्येक मतदान केन्द्र के लिए मतदान दलों का गठन और पीठासीन अधिकारी तथा मतदान अधिकारियों की नियुक्ति करना ;
- (iii) मतदान कार्मिकों को सघन प्रशिक्षण देना (जिसमें आरक्षित ड्यूटी वाले भी सम्मिलित हैं) ;
- (iv) जन साधारण, राजनैतिक दलों, अभ्यर्थियों और मीडिया के मध्य इलैक्ट्रॉनिक मतदान मशीन के उपयोग और कार्यचालन के बारे में जानकारी देना ;
- (v) सेवारत मतदाताओं के लिए डाक मतपत्र की छपाई और उनका सेवारत मतदाता को प्रेषण ;
- (vi) निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय के लेखे की संवीक्षा करना और विवरणियां आयोग को प्रस्तुत करना;
- (vii) निर्वाचन पूर्ण होने के पश्चात् और उस प्रयोजन के लिए विनिर्दिष्ट कालावधि में समस्त मतदान मशीनों, निर्वाचन संबंधी कागज पत्रों और निर्वाचन सामग्री की सुरक्षित अभिरक्षा की व्यवस्था करना ।

2.10.4 रिटर्निंग ऑफिसर

प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचन आयोग लोकसभा, राज्य की विधानसभा आदि में किसी स्थान या स्थानों को भरने के लिए प्रत्येक निर्वाचन के लिए राज्य की सरकार के साथ परामर्श करके रिटर्निंग ऑफिसर, जो सरकार का या स्थानीय प्राधिकारी का अधिकारी होगा, को पदनामित या नामनिर्देशित करेगा ।

रिटर्निंग ऑफिसर उसके निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचनों के संचालन के लिए प्राथमिक तौर पर उत्तरदायी होगा। उसके कृत्य (साथ ही साथ जिला निर्वाचन अधिकारी के कृत्य) निम्नलिखित हैं :-

- (i) मतदान के लिए कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करना और विस्तृत व्यवस्था करना;
- (ii) निर्वाचन सामग्री उपलब्ध कराना ;
- (iii) मतदान केन्द्रों का चयन और स्थापना ;
- (iv) मतदान कार्मिक की (आरक्षित को सम्मिलित करते हुए) नियुक्ति और प्रशिक्षण ;
- (v) नामनिर्देशन पत्र, प्रतिभूति निक्षेप, अभ्यर्थियों के बारे में दलों से सूचना प्राप्त करना ;

- (vi) निर्वाचन के खर्चों का लेखा और रजिस्टर रखने के लिए अनुदेशों की प्रति सौंपना ;
- (vii) नामनिर्देशन पत्रों की संवीक्षा ;
- (viii) प्रतीकों का आवंटन ;
- (ix) नामनिर्देशनों की सूचना, विधिमान्यतः नामनिर्देशित अभ्यर्थियों और निर्वाचन लड़ने वालों की सूची का प्रकाशन ;
- (x) डाक मतपत्रों का मुद्रण और सेवारत मतदाताओं को प्रेषण ;
- (xi) स्वतंत्र, निष्पक्ष और निर्विघ्न निर्वाचनों और आदर्श आचार संहिता के प्रवर्तन को सुनिश्चित करने के लिए अभ्यर्थियों, राजनैतिक दलों के साथ बैठकें/ सम्पर्क करना ;
- (xii) मतदान के संचालन के लिए मतदान दलों की उपस्थिति और मतपत्रों और अन्य निर्वाचन सामग्री की आपूर्ति सुनिश्चित करना, मतदान का पर्यवेक्षण और निर्वाचन आयोग को रिपोर्ट भेजना ;
- (xiii) मतदान के लिए ईवीएम तैयार करना ;
- (xiv) मतदान के पश्चात् सुरक्षा व्यवस्था के अधीन ईवीएम का परिवहन और भण्डारण ;
- (xv) मतगणना का स्थान नियत करना और वास्तविक मतगणना ; परिणाम की घोषणा ;
- (xvi) मतगणना के पश्चात् निर्वाचन पत्रों और सामग्री की सुरक्षित अभिरक्षा ;
- (xvii) निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों के निर्वाचन खर्चों के लेखों की संवीक्षा करना और आयोग को उनकी विवरणियां प्रस्तुत करना ;
- (xviii) निर्वाचन कार्य का संपूर्ण पर्यवेक्षण करना।

2.10.5 सहायक रिटर्निंग ऑफिसर

निर्वाचन आयोग किसी भी रिटर्निंग ऑफिसर की उसके कृत्यों के पालन में सहायता करने के लिए एक या अधिक सहायक रिटर्निंग ऑफिसरों की नियुक्ति कर सकेगा। प्रत्येक सहायक रिटर्निंग ऑफिसर, रिटर्निंग ऑफिसर के समस्त कृत्यों या उनमें से किसी का भी पालन करने के लिए सक्षम होगा। तथापि, रिटर्निंग ऑफिसर के जो कृत्य नामनिर्देशनों की संवीक्षा से संबंधित हैं उनमें से किसी को कोई सहायक रिटर्निंग ऑफिसर तब तक नहीं करेगा जब तक कि रिटर्निंग ऑफिसर उक्त कृत्य का पालन करने से अपरिहार्य रूप से निवारित न हो जाये।

2.10.6 पीठासीन और मतदान ऑफिसर

जिला निर्वाचन अधिकारी प्रत्येक मतदान केन्द्र के लिए एक पीठासीन ऑफिसर और ऐसे मतदान ऑफिसर या ऑफिसरों को, जो वह आवश्यक समझे, नियुक्त करेगा, किन्तु वह किसी ऐसे व्यक्ति को नियुक्त नहीं करेगा जो निर्वाचन में या निर्वाचन की बाबत किसी अभ्यर्थी द्वारा या उसकी ओर से नियोजित किया गया है या अन्यथा उसके लिए काम करता रहा है। मतदान ऑफिसर, यदि पीठासीन ऑफिसर द्वारा ऐसा करने के लिए निदिष्ट किया जाये तो, पीठासीन ऑफिसर के समस्त या किन्हीं कृत्यों का पालन करेगा। यदि पीठासीन ऑफिसर, रूग्णता या अन्य अपरिहार्य हेतुक से मतदान केन्द्र से स्वयं अनुपस्थित रहने के लिए बाध्य हो जाये तो उसके कृत्यों का पालन ऐसे मतदान ऑफिसर द्वारा किया जायेगा जिसे जिला

निर्वाचन ऑफिसर ने किसी ऐसी अनुपस्थिति के दौरान ऐसे कृत्यों के पालन के लिए पहले से ही प्राधिकृत किया है।

मतदान केन्द्र पर पीठासीन ऑफिसर का साधारण कर्तव्य मतदान केन्द्र में व्यवस्था बनाये रखना और यह सुनिश्चित करना है कि मतदान निष्पक्ष हो। उसे, अपने प्रभार के अधीन के मतदान केन्द्र में की कार्यवाहियों के नियंत्रण की पूर्ण विधिक शक्ति होगी। मतदान केन्द्र के मतदान ऑफिसरों का यह कर्तव्य होगा कि वे पीठासीन ऑफिसर की उसके कृत्यों के पालन में सहायता करें। मतदान दल में साधारणतया एक पीठासीन ऑफिसर और एकल निर्वाचन में, यदि किसी मतदान केन्द्र से जुड़े हुए निर्वाचकों की संख्या 1200 या उससे कम है तो 3 मतदान ऑफिसर और निर्वाचकों की संख्या 1200 से अधिक है तो 4 मतदान ऑफिसर होंगे। एक साथ निर्वाचन में मतदान दल में एक पीठासीन ऑफिसर और 5 मतदान ऑफिसर होंगे।

2.10.7 मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कर्तव्य

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 के उपबंधों के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए, सरकार के किसी अधिकारी को, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा उस सरकार के साथ परामर्श से भारत निर्वाचन आयोग के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण के अधीन, उस राज्य की समस्त निर्वाचक नामावलियों की तैयारी, पुनरीक्षण और शुद्धि का पर्यवेक्षण करने के लिए, मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में पदाभिहित या नामनिर्दिष्ट किया जाता है। प्रत्येक राज्य का मुख्य निर्वाचन अधिकारी, निर्वाचन आयोग के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण के अधीन रहते हुए, उस राज्य में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के अधीन के समस्त निर्वाचनों के संचालन का पर्यवेक्षण करेगा।

- (i) राज्य स्तर पर उपर्युक्त समस्त कार्यों को सुकर बनाना और उनका समन्वय करना ताकि भारत निर्वाचन आयोग के समस्त अनुदेशों/निदेशों को बिना किसी लोप या कार्य के कार्यान्वित किया जा सके।
- (ii) निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण ऑफिसर/जिला निर्वाचन अधिकारी के कतिपय विनिश्चयों के लिए अपील प्राधिकारी के रूप में कार्य करना।

अध्याय 3

कृत्यों के निर्वहण के लिए पर्यवेक्षण और दायित्व की प्रणालियों और विहित मानकों सहित विनिश्चय करने की प्रक्रिया में अपनायी जाने वाली प्रक्रिया

ऊपर वर्णित कृत्यों और कर्तव्यों का निर्वहण निर्वाचन विधि निर्देशिका (2 जिल्दों में) और पश्चात्वर्ती सूचीबद्ध विभिन्न पुस्तिकाओं में अंतर्विष्ट विभिन्न निर्वाचन विधियों, नियमों एवं आदेशों द्वारा विनियमित होता है।

जनता से सुसंगत विनिश्चय करने का प्रमुख क्षेत्र और उन क्षेत्रों में अपनाये जाने वाले मानक नीचे दिये गये हैं। पर्यवेक्षण और दायित्व का प्रवर्तन कराने की प्रणालियों में पूर्व में दिये गये संगठनात्मक संरचना में विनिर्दिष्ट अधिकर्म का साधारणतया पालन किया जाता है।

3.2 निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किया जाना और मत देने का अधिकार

3.2.1 निर्वाचक नामावली में किसी व्यक्ति को सम्मिलित करने के लिए पात्रता

- (i) अर्हक तारीख अर्थात् पुनरीक्षण वर्ष की 1 जनवरी को 18 वर्ष पूर्ण कर लिये हों ;
- (ii) भारत का नागरिक होना चाहिए ;
- (iii) मामूली तौर पर उस क्षेत्र का निवासी होना चाहिए जहां से आवेदन किया गया है ;
- (iv) विकृतचित्त का नहीं होना चाहिए (यदि वह विकृत चित्त है और सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित कर दिया जाता है तो मतदाता के रूप में रजिस्ट्रीकृत होने के लिए योग्य नहीं है) ;
- (v) निर्वाचन से संबंधित भ्रष्ट आचरण और अन्य अपराधों से संबंधित किसी भी विधि के उपबंधों अर्थात् भादसं की धारा 171 (ड), 171 (च) और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8 क (1), 125, 135, 136 (2) (क) के अधीन मतदान के लिए तत्समय निरर्हित नहीं हुआ होना चाहिए।

3.2.2 मत देने के लिए पात्रता

- (i) निर्वाचक नामावली के सही भाग में नाम पाया जाना चाहिए।
- (ii) मतदान का अधिकार प्रयोग करने योग्य नहीं है यदि निर्वाचक किसी कारागार में (कारावास या निर्वासन के दण्ड के अधीन या अन्यथा) परिरुद्ध है या निवारक निरोध को छोड़कर पुलिस की विधिपूर्ण अभिरक्षा में है।
- (iii) निर्वाचक नामावली में सम्मिलित करने के लिए ऊपर दिये गये मापदण्ड 4 या 5 के अधीन कोई भी निरर्हता नहीं होनी चाहिए।

3.2.3 सेवारत मतदाता

सेवारत मतदाताओं के नाम उस स्थान अर्थात् स्थायी निवास स्थान की नामावली में दर्ज किये जा सकते हैं जहां के वे मामूली तौर पर निवासी होते यदि वे सेवा में नहीं होते। सेवारत कार्मिक और उसकी पत्नी साधारण निर्वाचक के रूप में नामांकन के विकल्प का चुनाव कर सकते हैं बशर्ते उनके नाम निर्वाचक नामावली के

अन्तिम भाग में पहले से नामांकित न हों। ऐसा आशय रखने वाले सेवारत कार्मिक को अपना नाम सम्मिलित करने के लिए प्ररूप 6 में आवेदन विहित अतिरिक्त घोषण के साथ करना होगा। वे अपने मताधिकार का प्रयोग या तो डाक मतपत्र या प्रोक्सी तरीके से कर सकते हैं। नामावली के सुसंगत भाग में सम्मिलित करने के लिए उनका आवेदन और प्रोक्सी मतदाता की नियुक्ति से संबंधित सूचना भी उपयुक्त माध्यम (उनके विभाग के विभागाध्यक्ष) से मु.नि.अ./जि.नि.अ./रिटर्निंग ऑफिसर को अग्रेषित की जानी चाहिए।

सुसंगत प्ररूप सेवा के विभागाध्यक्षों के पास उपलब्ध हैं। यदि प्रोक्सी की नियुक्ति से संबंधित कोई भी सूचना, निर्वाचनों के संचालन के पूर्व, नामनिर्देशन फाइल किये जाने की अंतिम तारीख तक रिटर्निंग ऑफिसर को प्राप्त नहीं होती है तो डाक मतपत्र स्वतः ही उनको भेज दिये जायेंगे।

3.2.4 प्रोक्सी के संबंध में अन्य जानकारी

- (i) भारत निर्वाचन आयोग ने वर्गीकृत सेवा मतदाताओं अर्थात् सेना, नौ सेना, वायु सेना और पैरा मिलिट्री बलों को ही प्रोक्सी मतदान के लिए अनुज्ञात किया है। प्रोक्सी उसी निर्वाचन क्षेत्र का रजिस्ट्रीकृत निर्वाचक होना चाहिए।
- (ii) ऐसे सेवारत मतदाताओं की पत्नियां इस सुविधा की हकदार नहीं हैं।
- (iii) वर्गीकृत सेवारत मतदाता (व. से. म.) के लिए व. से. म. निर्वाचक नामावली के अंतिम भाग में उनके नाम के आगे उपदर्शित किया जायेगा।
- (iv) ऐसे व. से. म. की एक उप सूची संबंधित मतदान केन्द्र को भेजी जायेगी।
- (v) प्रोक्सी व्यक्ति के लिए अमिट स्याही बांयी मध्यमा पर लगायी जायेगी।
- (vi) एक प्रोक्सी मतदाता दो मत दे सकता है – एक तो अपनी पहचान से अपना मत और दूसरा उस व्यक्ति के लिए जिसका वह प्रोक्सी नियुक्त किया गया/की गयी है।

3.2.5 डाक मतपत्र द्वारा मतदान

डाक मतपत्र द्वारा मतदान की सुविधा निम्नलिखित प्रवर्ग के मतदाताओं को उपलब्ध है :-

- (i) विशेष मतदाता
- (ii) सेवानियोजित मतदाता
- (iii) विशेष/सेवानियोजित मतदाता की पत्नी
- (iv) ऐसा मतदाता जो निर्वाचन ड्यूटी/रसोइये – चपरासी – ड्राईवर की ड्यूटी पर हो
- (v) निवारक निरोध के अध्यक्षीन निर्वाचक
- (vi) निर्वाचन ड्यूटी पर पुलिस कार्मिक
- (vii) मतदान कार्मिक
- (viii) सेवारत कार्मिकों को छोड़कर अभ्यर्थियों के मतदान अभिकर्ताओं, अन्य को डाक मतपत्र के लिए मतदान की वास्तविक तारीख से कम से कम सात दिन पहले रिटर्निंग ऑफिसर को प्ररूप-12 में आवेदन करना चाहिए।

सेवारत मतदाताओं के लिए, अभ्यर्थिता की वापसी के 48 घण्टे के भीतर-भीतर, डाक मतपत्र उनके गंतव्य स्थान पर भेज दिये जायेंगे।

3.3 निर्वाचक नामावली से नाम हटाए जाने के कारण

- (i) मामूली तौर पर निवासी नहीं है/निवास बदल लिया है ;
- (ii) एक से अधिक स्थानों पर नाम उपलब्ध होने पर ;
- (iii) मृत्यु ;
- (iv) अर्हक तारीख पर आयु कम होने पर ;
- (v) सम्मिलित किये जाने के लिए मापदण्ड 4 और/या 5 (पैरा क 3.2.1) के अधीन निरर्हित हो जाने पर ;
- (vi) भारत का नागरिक नहीं है/दूसरे देश का नागरिक है।

3.4 बूथ लेवल अधिकारी – भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के निर्देशानुसार विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में अधिसूचित मतदान केन्द्रों की मतदाता सूची साफ सुथरी एवं त्रुटिरहित बनाने हेतु प्रत्येक मतदान केन्द्र के लिए बूथ लेवल अधिकारियों की नियुक्ति संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) के परामर्श से की जाती हैं। बूथ लेवल अधिकारी सामान्यतया मतदान केन्द्र के क्षेत्र में कार्यरत सरकारी कर्मचारी है जो अपने मूल दायित्वों के निर्वहन के साथ-साथ कार्यालय समय बाद या अवकाश के दिनों में मतदाता सूची/मतदाता फोटो पहचान पत्र से संबंधित कार्य करता है। वह उसको आवंटित मतदान केन्द्र की मतदाता सूची का कस्टोडियन है तथा राज्य सरकार द्वारा इस कार्य के लिए उसे रुपये 3000/- राशि का पारिश्रमिक प्रतिवर्ष देय हैं। इसके अतिरिक्त फोटोयुक्त मतदाता सूची में फोटो लाने के लिए प्रोत्साहन राशि का भी प्रावधान है।

3.5 बूथ स्तरीय अभिकर्ता – भारत निर्वाचन आयोग ने सभी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनैतिक दलों से यह अपेक्षा की है कि वह निर्वाचक नामावली के पुनरीक्षण से पूर्व प्रत्येक मतदान केन्द्र के लिए बूथ स्तरीय अभिकर्ता नियुक्त करे जो बूथ लेवल अधिकारी के साथ समन्वय कर मतदाता सूचियों के संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान उसको आवंटित मतदान केन्द्र/भाग की मतदाता सूची के क्रम में सहयोग प्रदान करें।

क. निर्वाचक नामावलियों में सम्मिलित किया जाना (अध्याय-3)

विनिश्चय के लिए कानूनी प्राधिकारी	आवेदक द्वारा की जाने वाली कार्रवाई	प्रयोजन	कौन प्रस्तुत कर सकेगा	आवेदन के साथ प्रस्तुत किये जाने वाले दस्तावेज	समय जिस के दौरान और स्थान जहां पर आवेदन प्रस्तुत किया जा सकता है	आदेश पारित करने के लिए न्यूनतम और अधिकतम कालावधि	प्ररूप प्राप्त करने पर कोई भी वर्जन	अपनायी गयी प्रक्रिया	अपील के लिए उपबंध
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण ऑफिसर	सम्यक् रूप से भरा हुआ प्ररूप 6 प्रस्तुत करना (प्ररूप 6 नामनिर्दिष्ट अधिकारी, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण ऑफिसर और जिला निर्वाचन अधिकारी से प्राप्त किया जा सकता है या विभाग की वेबसाइट www.ceorajasthan.nic.in से डाउनलोड किया जा सकता है।	निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किया जाना	संबंधित निर्वाचक या उसके कुटुम्ब का कोई सदस्य, किन्तु प्ररूप 6 स्वयं निर्वाचक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाना चाहिए।	1. निवास का सबूत 2. 18-20 वर्ष के मध्य आयु वालों द्वारा आयु का सबूत। स्थानांतरित मतदाता द्वारा आवेदन में पूर्व का पता भी अंकित किया जाना चाहिए, यदि पूर्व में निर्वाचक फोटो पहचान पत्र जारी किया गया है तो निर्वाचक फोटो पहचान पत्र संख्या भी लिखें। 3. यदि आवेदक प्रथमबार मतदाता सूची में नाम दर्ज करवाने हेतु आवेदन कर रहा है तो प्ररूप 6 में यथा स्थान पासपोर्ट साईज का अपना रंगीन फोटो लगाना चाहिये जिससे मतदाता सूची में उसका नाम दर्ज होने के साथ-साथ उसमें उसका फोटो भी अंकित हो सके तथा मतदाता फोटो पहचान पत्र भी जारी किया जा सके।	1. निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण ऑफिसर / सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण ऑफिसर के कार्यालय में वर्ष में किसी भी समय 2. संक्षिप्त पुनरीक्षण के दौरान (भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित कालावधि में) निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण ऑफिसर / सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण ऑफिसर के कार्यालय में और नामनिर्दिष्ट केन्द्रों में (जैसे मतदान केन्द्र) पदाभिहित अधिकारी को	आवेदन की प्राप्ति के सातवें दिन के पश्चात	1. आवेदन थोक में प्राप्त नहीं किये जायेंगे। 2. नामनिर्देशन पत्र फाइल किये जाने की अंतिम तारीख से विधानसभा / संसदीय निर्वाचन प्रक्रिया पूर्ण होने तक, जिससे सुसंगत भाग संबंधित है, प्ररूप स्वीकार नहीं किये जायेंगे।	1. प्ररूप की प्राप्ति 2. प्राप्त दावों की सूची का प्ररूप 9 में प्रकाशन 3. सत्यापन अधिकारी द्वारा फील्ड सत्यापन या संक्षिप्त जांच यदि आवश्यक हो 4. उच्चतर जिला निर्वाचन प्राधिकारी द्वारा जांच 5. निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण ऑफिसर द्वारा आदेशों का पारित किया जाना 6. पाण्डुलिपि की तैयारी 7. भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बनायी गयी अनुसूची के अनुसार निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण ऑफिसर के कार्यालय में या मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा निर्दिष्ट स्थान पर डेटा एंट्री और अंतिम नामावली का प्रकाशन	पुनरीक्षण कालावधि के दौरान दावों और आक्षेपों का निपटारा होने पर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण ऑफिसर के विरुद्ध अपील जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट को होगी। गैर-पुनरीक्षण कालावधि में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण ऑफिसर के विरुद्ध प्रथम अपील जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट के पास होगी तथा द्वितीय अपील मुख्य निर्वाचन अधिकारी के पास होगी।

- नामावलियों के सघन पुनरीक्षण के दौरान, नये सिरे से गणना घर-घर जाकर की जाती है और नयी नामावलियों के ड्राफ्ट के प्रकाशन के पूर्व घर-घर जाकर सत्यापन की कालावधि के दौरान कोई भी दावे के प्ररूप प्राप्त नहीं किये जाते हैं।
- भारत निर्वाचन आयोग द्वारा हाल ही से प्ररूप-6 में संशोधन किया है तथा इस प्ररूप के सभी कालम् की पूर्ति के निर्देश भी इसके साथ संलग्न किए गए हैं। आवेदक, आवेदन पत्र की पूर्ति करने से पूर्व इन निर्देशों का भली प्रकार अध्ययन कर लें।

ख. निर्वाचक नामावलियों से हटाया जाना (अध्याय-3)

विनिश्चय के लिए कानूनी प्राधिकारी	आवेदक द्वारा की जाने वाली कार्रवाई	प्रयोजन	कौन प्रस्तुत कर सकेगा	आवेदन के साथ प्रस्तुत किये जाने वाले दस्तावेज	समय जिस के दौरान और स्थान जहां पर आवेदन प्रस्तुत किया जा सकता है	आदेश पारित करने के लिए न्यूनतम और अधिकतम कालावधि	प्ररूप प्राप्त करने पर कोई भी वर्जन	अपनायी गयी प्रक्रिया	अपील के लिए उपबंध
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण ऑफिसर	सम्यक् रूप से भरा हुआ प्ररूप 7 प्रस्तुत करना (प्ररूप 7 नामनिर्दिष्ट अधिकारी, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण ऑफिसर और जिला निर्वाचन ऑफिसर के कार्यालयों से प्राप्त किया जा सकता है।	निर्वाचक नामावली में से हटाया जाना	1. स्वयं 2. आक्षेपकर्ता जिसका नाम पूर्व में ही नामावली में सम्मिलित है। 3. निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण ऑफिसर को अन्यथा समाधान होने पर स्वतः ही नाम हटाने की शक्ति है।	1. स्थानांतरण या मृत्यु या कम आयु का सबूत, यदि कोई हो	1. निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण ऑफिसर / सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण ऑफिसर के कार्यालय में वर्ष में किसी भी समय 2. संक्षिप्त पुनरीक्षण के दौरान (भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित कालावधि में) निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण ऑफिसर / सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण ऑफिसर के कार्यालय में और नामनिर्दिष्ट केन्द्रों में (जैसे मतदान केन्द्र) पदाभिहित अधिकारी को	आवेदन की प्राप्ति के सातवें दिन के पश्चात्	1. आवेदन थोक में प्राप्त नहीं किये जायेंगे। 2. नामनिर्देशन पत्र फाइल किये जाने की अंतिम तारीख से विधानसभा / संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचन प्रक्रिया पूर्ण होने तक जिससे सुसंगत भाग संबंधित है, प्ररूप स्वीकार नहीं किये जायेंगे।	1. प्ररूप की प्राप्ति 2. आवेदन की सूची का प्ररूप 10 में प्रकाशन 3. नोटिस का जारी किया जाना 4. निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण ऑफिसर द्वारा आदेशों का पारित किया जाना 5. पाण्डुलिपि की तैयारी और कम्प्यूटरीकरण	पुनरीक्षण कालावधि के दौरान दावों और आक्षेपों का निपटारा होने पर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण ऑफिसर के विनिश्चय के विरुद्ध अपील जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट को होगी। गैर पुनरीक्षण कालावधि में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण ऑफिसर के विनिश्चय के विरुद्ध प्रथम अपील जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट एवं द्वितीय अपील मुख्य निर्वाचन अधिकारी को की जा सकती है।

- नामावलियों के सघन पुनरीक्षण के दौरान गणना घर-घर जाकर की जाती है और नयी नामावलियों के ड्राफ्ट के प्रकाशन के पूर्व घर-घर जाकर सत्यापन की कालावधि के दौरान कोई भी आपत्तियों के प्ररूप प्राप्त नहीं किये जाते हैं।
- * आवश्यक दस्तावेजों सहित सात दिन के भीतर-भीतर जांच के लिए उपस्थित होने के लिए मतदाता को नोटिस जारी किया जाना। यदि मतदाता जांच के लिए कार्रवाई नहीं करता है तो निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण ऑफिसर उसके नाम को हटाने के लिए कार्रवाई कर सकता है।
- भारत निर्वाचन आयोग द्वारा हाल ही से प्ररूप-7 में संशोधन किया है तथा इस प्ररूप के सभी कालम् की पूर्ति के निर्देश भी इसके साथ संलग्न किए गए हैं। आवेदक, आवेदन पत्र की पूर्ति करने से पूर्व से पूर्व इन निर्देशों का भली प्रकार अध्ययन कर लें।

ग. नामावली में किसी प्रविष्टि से संबंधित विशिष्टि (विशिष्टियों) का शुद्धिकरण (अध्याय-3)

विनिश्चय के लिए कानूनी प्राधिकारी	आवेदक द्वारा की जाने वाली कार्रवाई	प्रयोजन	कौन प्रस्तुत कर सकेगा	आवेदन के साथ प्रस्तुत किये जाने वाले दस्तावेज	समय जिस के दौरान और स्थान जहां पर आवेदन प्रस्तुत किया जा सकता है	आदेश पारित करने के लिए न्यूनतम और अधिकतम कालावधि	प्ररूप प्राप्त करने पर कोई भी वर्जन	अपनायी गयी प्रक्रिया	अपील के लिए उपबंध
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण ऑफिसर	प्ररूप 8, यथावश्यक परिवर्तनों सहित	नामावली में प्रविष्टि से संबंधित विशिष्टि (विशिष्टियों) का शुद्धिकरण एवं फोटो युक्त मतदाता सूची में मुद्रित गलत फोटो का शुद्धिकरण	केवल वह व्यक्ति जिसकी प्रविष्टि की (विशिष्टि) को शुद्ध किया जाना आवश्यक है।	विशिष्टि (विशिष्टियों) – ब्योरे के शुद्धिकरण का पर्याप्त सबूत, फोटो शुद्ध करवाने हेतु प्ररूप में यथा स्थान पास पोर्ट साइज की रंगीन फोटो भी लगानी होगी।	निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण ऑफिसर / सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण ऑफिसर के कार्यालय में वर्ष में किसी भी समय 2. संक्षिप्त पुनरीक्षण के दौरान (भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित कालावधि में) निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण ऑफिसर / सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण ऑफिसर के कार्यालय में और नामनिर्दिष्ट केन्द्रों में (जैसे मतदान केन्द्र) पदाभिहित अधिकारी को	आवेदन की प्राप्ति के सातवें दिन के पश्चात्	1. आवेदन थोक में प्राप्त नहीं किये जायेंगे। 2. नामनिर्देशन पत्र फाइल किये जाने की अंतिम तारीख से विधानसभा / संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचन प्रक्रिया पूर्ण होने तक जिससे सुसंगत भाग संबंधित है, प्ररूप स्वीकार नहीं किये जायेंगे।	निपटान कालावधि के दौरान निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण ऑफिसर आदेश पारित करेगा।	पुनरीक्षण कालावधि के दौरान दावों और आक्षेपों का निपटारा होने पर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण ऑफिसर के विनिश्चय के विरुद्ध अपील जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट को होगी। गैर पुनरीक्षण कालावधि में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण ऑफिसर के विरुद्ध प्रथम अपील जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट एवं द्वितीय अपील मुख्य निर्वाचन अधिकारी को की जा सकती हैं।

नोट :- भारत निर्वाचन आयोग द्वारा हाल ही में प्ररूप-8 में संशोधन किया है तथा इस प्ररूप के सभी कालम् की पूर्ति के निर्देश भी इसके साथ संलग्न किए गए हैं। आवेदक, आवेदन पत्र की पूर्ति करने से पूर्व इन निर्देशों का भली प्रकार अध्ययन कर लें।

घ. एक ही निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली की प्रविष्टियों को एक भाग से दूसरे भाग में रखना (अध्याय-3)

विनिश्चय के लिए कानूनी प्राधिकारी	आवेदक द्वारा की जाने वाली कार्रवाई	प्रयोजन	कौन प्रस्तुत कर सकेगा	आवेदन के साथ प्रस्तुत किये जाने वाले दस्तावेज	समय जिस के दौरान और स्थान जहाँ पर आवेदन प्रस्तुत किया जा सकता है	आदेश पारित करने के लिए न्यूनतम और अधिकतम कालावधि	प्ररूप प्राप्त करने पर कोई भी वर्जन	अपनायी गयी प्रक्रिया	अपील के लिए उपबंध
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण ऑफिसर	प्ररूप 8क, यथावश्यक परिवर्तनों सहित	मतदाता सूची में नाम स्थानान्तरित करने के लिए	संबंधित व्यक्ति/ या अन्य कोई व्यक्ति	निवास में परिवर्तन के लिए पर्याप्त सबूत	1. निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण ऑफिसर/ सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण ऑफिसर के कार्यालय में वर्ष के किसी भी समय। 2. संक्षिप्त पुनरीक्षण के दौरान (भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित कालावधि में) निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण ऑफिसर/ सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण ऑफिसर के कार्यालय में और नामनिर्दिष्ट केन्द्रों में (जैसे मतदान केन्द्र) पदाभिहित अधिकारी को	आवेदन की प्राप्ति के सातवें दिन के पश्चात्	1. आवेदन थोक में प्राप्त नहीं किये जायेंगे। 2. नामनिर्देशन पत्र फाइल किये जाने की अंतिम तारीख से विधानसभा / संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचन प्रक्रिया पूर्ण होने तक जिससे सुसंगत भाग संबंधित है, प्ररूप स्वीकार नहीं किये जायेंगे।	निपटान कालावधि के दौरान निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण ऑफिसर आदेश पारित करेगा	पुनरीक्षण कालावधि के दौरान दावों और आक्षेपों का निपटारा होने पर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण ऑफिसर के विनिश्चय के विरुद्ध अपील जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट को होगी। गैर पुनरीक्षण कालावधि में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण ऑफिसर के विनिश्चय के विरुद्ध प्रथम अपील जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट एवं द्वितीय अपील मुख्य निर्वाचन अधिकारी को की जा सकती हैं।

नोट :- भारत निर्वाचन आयोग द्वारा हाल ही में प्ररूप-8क में संशोधन किया है तथा इस प्ररूप के सभी कालम् की पूर्ति के निर्देश भी इसके साथ संलग्न किए गए हैं। आवेदक, आवेदन पत्र की पूर्ति करने से पूर्व इन निर्देशों का भली प्रकार अध्ययन कर लें।

3.4 निर्वाचक नामावली, दावों और आक्षेपों के प्रकाशन का ढंग और मतदान केन्द्र

3.4.1 पुनरीक्षण कालावधि के दौरान दावों और आक्षेपों को फाइल करने की कालावधि के दौरान निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण ऑफिसर समस्त नामनिर्दिष्ट स्थानों में दैनिक आधार पर निम्नलिखित प्रकाशित करवायेगा :-

- (i) सम्मिलित करने के लिए प्राप्त प्ररूप 6 की प्ररूप 9 में समेकित सूची।
- (ii) हटाये जाने के लिए प्राप्त प्ररूप 7 की प्ररूप 10 में समेकित सूची।
- (iii) प्रविष्टियों के शुद्धिकरण के लिए प्राप्त प्ररूप 8 की प्ररूप 11 में समेकित सूची।
- (iv) लोक निरीक्षण और आक्षेप करने के लिए अन्यत्र रखने के लिए प्राप्त प्ररूप 8क की प्ररूप 11 क में समेकित सूची।

3.4.2 संक्षिप्त पुनरीक्षण के दौरान निर्वाचक नामावलियों का प्रारूप निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण ऑफिसर के कार्यालय और नामनिर्दिष्ट स्थानों (अधिकांशतया मतदान केन्द्रों) पर प्रकाशित किया जाता है जबकि निर्वाचक नामावलियों का अन्तिम प्रकाशन निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण ऑफिसर के कार्यालय में किया जाता है। निर्वाचक नामावलियों के अंतिम प्रकाशन के पश्चात् अंतिम रूप से प्रकाशित निर्वाचक नामावलियों की एक प्रति जनता के निरीक्षण के लिए स्थानीय निकाय को उपलब्ध करवायी जाती है। सघन पुनरीक्षण के लिए अधिसूचित कालावधि में भी यही रीति अपनायी जाती है। निरन्तर पुनरीक्षण के दौरान सृजित अनुपूरक, यदि कोई हो, भी प्रारूप प्रकाशन के साथ प्रकाशित कर दिये जाते हैं।

3.4.3 पुनरीक्षण कालावधि के दौरान निर्वाचक नामावलियों के प्रारूप एवं अन्तिम की दो प्रतियां (एक हार्ड और एक साफ्ट प्रति) निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण ऑफिसर द्वारा समस्त मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों को दी जाती हैं। रिटर्निंग ऑफिसर प्रत्येक निर्वाचन के पूर्व मतदान केन्द्रों की सूची अंग्रेजी और स्थानीय भाषा (हिन्दी) में समस्त अभ्यर्थियों को उपलब्ध करवाता है।

3.4.4 रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा, नवीनतम निर्वाचक नामावली की एक प्रति, निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची एक बार अंतिम हो जाने पर, मान्यता प्राप्त दलों के प्रत्येक निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी को दी जायेगी।

3.4.5 समस्त विधानसभा निर्वाचन-क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियां वेबसाइट <http://ceorajasthan.nic.in> पर उपलब्ध हैं।

3.4.6 किसी मतदान केन्द्र की निर्वाचक नामावलियां स्थायी रूप से बूथ स्तरीय अधिकारी की अभिरक्षा में उपलब्ध होगी : वह मृत/स्थानान्तरित निर्वाचकों की पहचान करने, और नि.र.आ. से प्राप्त प्ररूपों 6, 7, 8 और 8क में रिपोर्ट करने तथा निर्वाचक फोटो पहचान पत्र अभियान में भाग लेने और निर्वाचक फोटो पहचान पत्रों के वितरण के लिए भी उत्तरदायी है।

3.4.7 निर्वाचक नामावलियों के उद्धरण की प्रतियां जारी किया जाना/निर्वाचक नामावलियों का विक्रय मूल्य

चालू निर्वाचक नामावली में व्यक्ति/व्यक्तियों के नाम की प्रविष्टि की प्रमाणित प्रति उस व्यक्ति द्वारा अनुरोध किये जाने पर संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण ऑफिसर द्वारा जारी की जायेगी। निर्वाचक नामावली की उन प्रतियों के लिए, जो पूर्वगामी वर्षों से संबंधित हैं, संबंधित व्यक्ति को संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण ऑफिसर/जिला निर्वाचन अधिकारी को आवेदन करना चाहिए।

3.4.8 निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण ऑफिसर के कार्यालय में उपलब्ध निर्वाचक नामावलियों की प्रतियां जनता/राजनैतिक दलों द्वारा मांग किये जाने पर नीचे दी गयी फीस के संदाय पर की जा सकेंगी।

(क) अंतिम निर्वाचक नामावली चाहे मुद्रित हो या पाण्डुलिपि

(क) नियम 32 के उप-नियम (i) में एक बार निर्दिष्ट एक या अधिक निर्वाचन क्षेत्र निर्वाचक नामावली या दस्तावेजों का निरीक्षण

(i) प्रथम घंटा या उसका भाग 5/- रु.

(ii) प्रत्येक अतिरिक्त घण्टा या उसके भाग के लिए 2/- रु.

(ख) किसी निर्वाचन क्षेत्र में प्रत्येक निर्वाचक भाग में से निर्वाचकों/मतदाताओं की प्रविष्टियों की प्रमाणित या अनुप्रमाणित प्रति

(i) प्रत्येक निर्वाचक भाग से संबंधित पांच निर्वाचकों तक की प्रविष्टियों वाली प्रति प्रतिलिपि 3/- रु.

(ii) प्रत्येक निर्वाचक भाग से संबंधित पांच प्रविष्टियों से अधिक और 20 प्रविष्टियों से अनधिक वाली प्रति प्रतिलिपि 4/- रु.

(iii) प्रत्येक निर्वाचक भाग से संबंधित 20 या 20 से अधिक प्रविष्टियों वाली प्रति प्रतिलिपि 6/- रु.

(ग) प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावलियों के डाटा वाली पीएससीडी रोम 500/- रु. (चालान के माध्यम से संदाय द्वारा)

3.5 निर्वाचक फोटो पहचान पत्र (निफोपप)

संबंधित विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में नाम सम्मिलित हो जाने पर निर्वाचक फोटो पहचान पत्र जारी करवाने का पात्र होगा। प्रथम बार अन्य औपचारिकताओं के पूर्ण हो जाने पर पहचान पत्र निःशुल्क दिया जायेगा। पहचान पत्र गुम हो जाने या कट-फट जाने, मतदाता के स्थानान्तरण होने की दशा में पहचान पत्र जारी करवाने के लिए इस बात की घोषणा प्रस्तुत करने पर कि कार्ड खो गया और निर्वाचक द्वारा 25/- रु. जमा करवा दिये जाने पर नया कार्ड प्राप्त किया जा सकता है। व्यक्ति को अपने वर्तमान पते का सबूत भी संलग्न करना होगा।

3.6 निर्वाचनों का संचालन

राजस्थान में 200 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र और 25 संसदीय निर्वाचन क्षेत्र हैं। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में, राजस्थान विधानसभा या संसद् में स्थान या स्थानों को भरने के लिए प्रत्येक निर्वाचन में, निर्वाचन आयोग राजस्थान सरकार के परामर्श से एक रिटर्निंग ऑफिसर (जो सरकार या स्थानीय प्राधिकारी का अधिकारी होगा) नामनिर्दिष्ट या नामनिर्देशन करेगा। निर्वाचन आयोग किसी भी रिटर्निंग ऑफिसर को उसके कृत्यों के सम्पादन में सहायता के लिए सरकारी अधिकारी या स्थानीय प्राधिकारी को एक या अधिक सहायक रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त कर सकेगा।

3.6.1 निर्वाचन के लिए अर्हताएं और निरर्हताएं

कोई व्यक्ति संसद् में स्थान भरने के लिए चुने जाने के लिए तब तक अर्हित नहीं होगा जब तक कि वह –

- (i) भारत का नागरिक नहीं हो ; और
- (ii) भारत निर्वाचन आयोग द्वारा उस निमित्त प्राधिकृत किसी व्यक्ति के समक्ष तीसरी अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए निर्धारित प्ररूप के अनुसार शपथ नहीं लेता है या अभिज्ञान नहीं करता है और उस पर हस्ताक्षर नहीं करता है।
- (iii) राज्य सभा में किसी पद के लिए निर्वाचन लड़ने के लिए उसे 30 वर्ष से कम और, लोकसभा के लिए 25 वर्ष से कम आयु का नहीं होना चाहिए।
- (iv) उसके पास ऐसी अन्य योग्यताएं भी होनी चाहिए जो संसद् द्वारा बनायी गयी किसी भी विधि के द्वारा या अधीन विहित की जायें।
- (v) कोई भी व्यक्ति किसी भी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र का राज्य सभा में प्रतिनिधि चुने जाने के लिए तब तक अर्हित नहीं होगा जब तक कि वह भारत में किसी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का निर्वाचक नहीं हो।
- (vi) कोई व्यक्ति लोकसभा में किसी स्थान को भरने के लिए चुने जाने के लिए तब तक अर्हित नहीं होगा जब तक कि वह किसी भी राज्य में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित स्थान की दशा में उस राज्य की या किसी भी अन्य राज्य की किसी भी अनुसूचित जाति या, यथास्थिति, किसी भी अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है, और
- (vii) वह किसी भी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का निर्वाचक नहीं है, और किसी भी अन्य स्थान (अर्थात् वह स्थान जो आरक्षित नहीं है) के मामले में, वह किसी भी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का निर्वाचक नहीं है।
- (viii) कोई व्यक्ति किसी राज्य विधानसभा में किसी स्थान को भरने के लिए चुने जाने के लिए तब तक अर्हित नहीं होगा जब तक कि वह उस राज्य में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित स्थान की दशा में उन जातियों या, यथास्थिति, जनजातियों में से किसी भी एक का सदस्य नहीं है, और
- (ix) उस राज्य में किसी भी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचक नहीं है, और किसी भी अन्य स्थान (अर्थात् वह स्थान जो आरक्षित नहीं है) के लिए उस राज्य में किसी भी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचक नहीं है।

(x) कोई भी व्यक्ति संसद् के किसी भी सदन का सदस्य चुने जाने और होने के लिए निरर्हित होगा –

- (क) यदि वह भारत सरकार के या किसी राज्य की सरकार के अधीन, ऐसे पद को छोड़कर जिसको धारण करने वाले का निरर्हित न होना संसद् ने विधि द्वारा घोषित किया है, कोई लाभ का पद धारण करता है;
- (ख) यदि वह विकृतचित्त का है और सक्षम न्यायालय की ऐसी घोषणा विद्यमान है;
- (ग) यदि वह अनुन्मोचित दिवालिया है;
- (घ) यदि वह भारत का नागरिक नहीं है या उसने किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित कर ली है या वह किसी विदेशी राज्य के प्रति निष्ठा या अनुषक्ति को अभिस्वीकार किए हुए है;
- (ङ.) यदि वह संसद् द्वारा बनायी गयी किसी विधि द्वारा या उसके अधीन इस प्रकार निरर्हित कर दिया जाता है।

स्पष्टीकरण: कोई व्यक्ति केवल इस कारण लाभ का पद धारण करने वाला नहीं समझा जायेगा कि वह संघ का या ऐसे राज्य का मंत्री है।

अध्याय 4

4.1 राष्ट्रपति का निर्वाचन

राष्ट्रपति का निर्वाचन ऐसे निर्वाचकगण के सदस्य करेंगे जिसमें –

- (क) संसद् के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, और
- (ख) राज्यों की विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य होंगे

4.1.1 राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हताएं

कोई व्यक्ति राष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा जब वह –

- (क) भारत का नागरिक है;
- (ख) 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है;
- (ग) लोक सभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हित है; और
- (घ) जो भारत सरकार के या किसी राज्य की सरकार के अधीन अथवा उक्त सरकारों में से किसी के नियंत्रण में किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी के अधीन कोई लाभ का पद धारण नहीं करता है।

स्पष्टीकरण— कोई व्यक्ति केवल इस कारण कोई लाभ का पद धारण करने वाला नहीं समझा जायेगा कि वह संघ का राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति या किसी राज्य का राज्यपाल है अथवा संघ का या किसी राज्य का मंत्री है।

4.2 उपराष्ट्रपति का निर्वाचन

उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद् के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचकगण के सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होगा।

4.2.1 उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हताएं

कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा जब वह—

- (क) भारत का नागरिक है;
- (ख) पैंतीस वर्ष की आयु पूरी कर चुका है; और
- (ग) राज्य सभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हित है।

कोई व्यक्ति जो भारत सरकार के या किसी राज्य सरकार के अधीन अथवा उक्त सरकारों में से किसी के नियंत्रण में किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी के अधीन कोई लाभ का पद धारण करता है, उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र नहीं होगा।

स्पष्टीकरण— कोई व्यक्ति केवल इस कारण कोई लाभ का पद धारण करने वाला नहीं समझा जायेगा कि वह संघ का राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति या किसी राज्य का राज्यपाल है अथवा संघ का या किसी राज्य का मंत्री है।

अध्याय 5

संसद् और राज्य विधान—मंडलों के सदस्यों की निरर्हताएं

“निरर्हित” से संसद् के दोनों सदनों से किसी का या किसी राज्य की विधान सभा या विधान परिषद् का सदस्य चुने जाने, और सदस्य होने के लिए निरर्हित अभिप्रेत है।

5.2 कतिपय अपराधों के लिए दोषसिद्धि पर निरर्हता

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8(1) के अनुसार, निम्नलिखित के अधीन दंडनीय किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया व्यक्ति, जहां सिद्धदोष ठहराया गया व्यक्ति—

- (i) केवल जुर्माने से दंडादिष्ट किया जाता है, वहां ऐसी दोषसिद्धि की तारीख से छह वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा;
- (ii) कारावास से दंडादिष्ट किया जाता है, वहां ऐसी दोषसिद्धि की तारीख से निरर्हित होगा और उसके छोड़े जाने से छह वर्ष की अतिरिक्त कालावधि के लिए निरर्हित बना रहेगा, अर्थात्:—

(क)	भारतीय दंड संहिता	
	धारा 153 क	धर्म, मूलवंश, जन्मस्थान, निवास स्थान, भाषा इत्यादि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता का संप्रवर्तन और सौहार्द बने रहने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कार्य करने का अपराध ; या
	धारा 171 ड	रिश्वत का अपराध ; या
	धारा 171 च	किसी निर्वाचन में असम्यक् असर डालने या प्रतिरूपण का अपराध ; या
	धारा 376 की उप-धारा (1) या (2) या धारा 376 क या 376 ख या 376 ग या 376 घ	बलात्संग से संबंधित अपराध ; या
	धारा 498 क	किसी स्त्री के पति या पति के नातेदार द्वारा उसके प्रति क्रूरता करने का अपराध ; या
	धारा 505 की उप-धारा (2) या (3)	विभिन्न वर्गों में शत्रुता, घृणा या वैमनस्य पैदा या संप्रवर्तित करने वाले कथन अथवा किसी पूजा के स्थान में या किसी जमाव में, जो धार्मिक पूजा या धार्मिक कर्म करने में लगा हुआ हो, ऐसा कथन करने से संबंधित अपराध ; या
(ख)	सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955	जो “अस्पृश्यता” का प्रचार और आचरण करने और उससे उपजी किसी निर्योग्यता को लागू करने के लिए दंड का उपबंध करता है ; या
(ग)	सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 11	प्रतिषिद्ध माल का आयात या निर्यात करने का अपराध ; या

(घ)	विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 10 से 12 तक	विधिविरुद्ध घोषित किए गए किसी संगम का सदस्य होने का अपराध, किसी अधिसूचित स्थान में किये गये आदेश के उल्लंघन से संबंधित अपराध ; या
(ङ)	विदेशी मुद्रा (विनियमन) अधिनियम, 1973; या	
(च)	स्वापक ओषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985; या	
(छ)	आतंकवादी और विध्वंसकारी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1987 की	
	धारा 3	आतंकवादी कार्य करने का अपराध ; या
	धारा 4	विध्वंसकारी क्रियाकलाप करने का अपराध ; या
(ज)	धार्मिक संस्था (दुरुपयोग निवारण) अधिनियम, 1988 की धारा 7	धारा 3 से 6 तक के उपबंधों के उल्लंघन का अपराध ; या
(झ)	लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की	
	धारा 125	निर्वाचन के संबंध में वर्गों के बीच शत्रुता संप्रवर्तित करने का अपराध ; या
	धारा 135	मतदान केन्द्रों से मतपत्रों को हटाने का अपराध ; या
	धारा 135 क	बूथों के बलात् ग्रहण का अपराध ; या
	धारा 136 की उप-धारा (2) का खण्ड (क)	किसी नामनिर्देशन-पत्र को कपटपूर्वक विरूपित करने या कपट पूर्वक नष्ट करने का अपराध ; या
(ञ)	उपासना स्थल (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1991 की धारा 6	किसी उपासना स्थल के संपरिवर्तन का अपराध ; या
(ट)	राष्ट्र-गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971 की	
	धारा 2	भारतीय राष्ट्रीय ध्वज या भारत के संविधान का अपमान करने का अपराध ; या
	धारा 3	राष्ट्रगान के गायन को रोकने का अपराध ; या
(ठ)	सती (निवारण) अधिनियम, 1987 ; या	
(ड)	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 ; या	
(ढ)	आतंकवाद निवारण अधिनियम, 2002	

2. कोई व्यक्ति जो –

- (क) जमाखोरी या मुनाफाखोरी का निवारण करने का उपबंध करने वाली किसी विधि; या
- (ख) खाद्य या ओषधि के अपमिश्रण से संबंधित किसी विधि; या
- (ग) दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 के किन्हीं उपबन्धों

के उल्लंघन के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है और छह मास से अन्यून के कारावास से दंडादिष्ट किया गया है, वह ऐसी दोषसिद्धि की तारीख से निरर्हित होगा और उसे छोड़े जाने से छह वर्ष की अतिरिक्त कालावधि के लिए निरर्हित बना रहेगा।

3. कोई व्यक्ति जो (ऊपर उप-धारा (1) या उप-धारा (2) में निर्दिष्ट किसी अपराध से भिन्न) किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है और दो वर्ष से अन्यून के कारावास से दण्डादिष्ट किया गया है, ऐसी दोषसिद्धि की तारीख से निरर्हित होगा और उसे छोड़े जाने से छह वर्ष की अतिरिक्त कालावधि के लिए निरर्हित बना रहेगा।

4. उप-धारा (1) या उप-धारा (2) या उप-धारा (3) में किसी बात के होते हुए भी, उप-धाराओं में से किसी भी उप-धारा के अधीन निरर्हिता, उस व्यक्ति की दशा में जो दोषसिद्धि की तारीख को संसद् का या राज्य के विधान-मंडल का सदस्य है, तब तक प्रभावशील नहीं होगी जब तक उस तारीख से तीन मास न बीत गए हों, अथवा, यदि उस कालावधि के भीतर उस दोषसिद्धि या दंडादेश की बाबत अपील या पुनरीक्षण के लिए आवेदन किया गया है तो जब तक न्यायालय द्वारा उस अपील या आवेदन का निपटारा न कर दिया गया हो।

5.3 भ्रष्ट आचरण के आधार पर निरर्हिता

अधिनियम की धारा 8 क के अनुसार (उच्च न्यायालय द्वारा, निर्वाचन याचिका के विचारण की समाप्ति पर, ऐसे मामले में जहां निर्वाचन याचिका में निर्वाचन में किये गये भ्रष्ट आचरण का आरोप लगाया गया है) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 99 के अधीन किसी आदेश द्वारा भ्रष्ट आचरण के दोषी ठहराए गये प्रत्येक व्यक्ति का मामला, उस आदेश के प्रभावशील होने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र ऐसे प्राधिकारी द्वारा, जिसे केन्द्रीय सरकार उस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, इस प्रश्न का अवधारण करने के लिए राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया जायेगा कि क्या ऐसा व्यक्ति निरर्हित किया जाये और यदि किया जाये तो कितनी कालावधि के लिए :

परन्तु वह कालावधि, जिसके लिए कोई व्यक्ति निरर्हित किया जा सकेगा, किसी भी दशा में उस तारीख से छह वर्ष से अधिक नहीं होगी जिसको धारा 99 के अधीन उसके संबंध में किया गया आदेश प्रभावशील होता है।

केन्द्रीय सरकार ने उपर्युक्त प्रयोजन के लिए –

- (क) लोक सभा या राज्य सभा के निर्वाचन के संबंध में लोक सभा या, यथास्थिति, राज्य सभा के महासचिव को, और

(ख) किसी राज्य की विधान सभा या विधान परिषद् के निर्वाचन के संबंध में किसी राज्य की विधान सभा या, यथास्थिति, विधान परिषद् के सचिव को, प्राधिकारी के रूप में विनिर्दिष्ट किया है।

ऊपर उपदर्शित किसी प्रश्न पर विनिश्चय देने के पूर्व राष्ट्रपति/राज्यपाल निर्वाचन आयोग की राय लेगा और उस राय के अनुसार कार्य करेगा।

5.4 भ्रष्टाचार या अभक्ति के लिए पदच्युत होने पर निरर्हता

अधिनियम की धारा 9 के अनुसार, वह व्यक्ति, जो भारत सरकार के अधीन या किसी राज्य की सरकार के अधीन पद धारण करते हुए भ्रष्टाचार के कारण या राज्य के प्रति अभक्ति के कारण पदच्युत किया गया है, ऐसी पदच्युति की तारीख से पांच वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा। इस प्रयोजन के लिए, निर्वाचन आयोग द्वारा निकाला गया इस प्रभाव का प्रमाणपत्र कि कोई व्यक्ति भारत सरकार के अधीन या किसी राज्य सरकार के अधीन पद धारण करते हुए भ्रष्टाचार के कारण या राज्य के प्रति अभक्ति के कारण पदच्युत किया गया था या नहीं, उस तथ्य का निश्चयक सबूत होगा :

परन्तु इस प्रभाव का कोई भी प्रमाणपत्र कि कोई व्यक्ति भ्रष्टाचार या राज्य के प्रति अभक्ति के कारण पदच्युत किया गया है, तब तक नहीं निकाला जायेगा जब तक कि उक्त व्यक्ति को सुने जाने का अवसर न दे दिया गया हो।

5.5 सरकार के साथ की गयी संविदाओं आदि के लिए निरर्हता

अधिनियम की धारा 9 क के अनुसार, कोई भी व्यक्ति निरर्हित होगा यदि और जब तक कोई ऐसी संविदा विद्यमान है जो उसने समुचित सरकार के साथ अपने व्यापार या कारबार के अनुक्रम में उस सरकार को माल का प्रदाय करने के लिए या उस सरकार द्वारा उपक्रांत किन्हीं संकर्मों के निष्पादन के लिए की है।

5.6 सरकारी कम्पनी के अधीन पद के लिए निरर्हता

अधिनियम की धारा 10 के अनुसार, कोई भी व्यक्ति निरर्हित होगा यदि और जब तक वह (सहकारी सोसाइटी से भिन्न) किसी ऐसी कम्पनी या निगम का, जिसकी पूँजी में समुचित सरकार का 25% से अन्यून अंश है, प्रबंध अभिकर्ता, प्रबंधक या सचिव है।

5.7 निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफलता के कारण निरर्हता

अधिनियम की धारा 10 क के अनुसार, यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति –

(क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है, और

(ख) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग, शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से 3 वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा।

5.8 धारा 77 के अनुसार –

- (1) निर्वाचन में हर अभ्यर्थी निर्वाचन संबंधी उस सब व्यय का जो, उस तारीख के, जिसको वह नामनिर्दिष्ट किया गया है और उस निर्वाचन के परिणामों की घोषणा की तारीख के, जिनके अंतर्गत ये दोनों तारीखें आती हैं, बीच स्वयं द्वारा या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा उपगत या प्राधिकृत किया गया है, पृथक् और सही लेखा या तो वह स्वयं रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा।
- (2) लेखा में ऐसी विशिष्टियां होंगी जैसे यानों, सभाओं, प्रचार आदि पर उपगत व्यय।
- (3) उक्त व्यय का जोड़ संसद् के मामले में 25 लाख रुपये और विधान सभा के मामले में 10 लाख रुपये की अधिकतम सीमा से अधिक नहीं होना चाहिए।

अधिनियम की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन में हर निर्वाचन लड़ने वाला अभ्यर्थी निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से या यदि निर्वाचन में एक से अधिक निर्वाचित अभ्यर्थी हैं, और उनके निर्वाचन की तारीखें भिन्न हैं तो उन तारीखों में से पश्चात्वर्ती तारीख से तीस दिन के भीतर-भीतर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा, जो उस लेखा की सही प्रति होगी जिसे उसने या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने धारा 77 के अधीन रखा है, जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल करेगा।

5.9 निरर्हता की कालावधि को हटाना या कम करना

निर्वाचन आयोग, लेखबद्ध कारणों से, धारा 8क के अधीन की निरर्हता को छोड़कर किसी भी निरर्हता से हटा सकेगा या ऐसी निरर्हता की कालावधि को कम कर सकेगा।

अध्याय 6

6.1 अभ्यर्थी का नामनिर्देशन

नामनिर्देशन के लिए अभ्यर्थी को नीचे यथा उपदर्शित राशि जमा करानी होगी :-

	सामान्य	अ.जा.	अ.जजा.
राज्य सभा	10000 / -रुपये	5000 / -रुपये	5000 / -रुपये
लोक सभा	25000 / -रुपये	12500 / -रुपये	12500 / -रुपये
विधान सभा	10000 / -रुपये	5000 / -रुपये	5000 / -रुपये

6.2 जमा का प्रतिदाय

यदि अभ्यर्थी डाले गये विधिमान्य मतों की कुल संख्या के छठे भाग से अधिक प्राप्त करता है तो जमा रकम लौटा दी जायेगी ।

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 33 के अधीन मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल द्वारा खड़े किये गये अभ्यर्थी के संबंध में उसका नाम निर्देशन पत्र निर्वाचन क्षेत्र के एक निर्वाचक द्वारा प्रस्थापक के रूप में हस्ताक्षरित होना चाहिए। मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल द्वारा खड़े नहीं किये गये अभ्यर्थी की दशा में वह निर्वाचन क्षेत्र के 10 निर्वाचकों द्वारा प्रस्थापक के रूप में हस्ताक्षरित होना चाहिए।

6.3 नामनिर्देशन के साथ प्रस्तुत किये जाने वाले दस्तावेज

1. शपथ-पत्र (10 / -रुपये मूल्य का स्टाम्प पेपर)
(दोषसिद्धि के बारे में विवरण, न्यायालयों में लंबित मामले)
2. प्ररूप 26 में शपथपत्र
3. निर्वाचक नामावली की प्रमाणित प्रतिलिपि यदि वह किसी अन्य निर्वाचन क्षेत्र का मतदाता है ।

6.4 नये राजनैतिक दल का रजिस्ट्रीकरण

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29 क के अधीन विहित प्रोफार्मा में नये राजनैतिक दल का रजिस्ट्रीकरण किया जा सकेगा। प्रस्ताव सचिव, भारत निर्वाचन आयोग, निर्वाचन सदन, अशोका रोड, नई दिल्ली-110001 को भेजा जाना चाहिए।

6.5 निर्वाचन याचिका

कोई भी निर्वाचन केवल निर्वाचन याचिका द्वारा प्रश्नगत किया जा सकेगा जो परिणाम की घोषणा की तारीख से 45 दिन के भीतर उच्च न्यायालय के समक्ष फाइल की जानी चाहिए।

अध्याय 7

जिला निर्वाचन अधिकारियों के दूरभाष / फ़ैक्स संख्यांक एवं संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के लिए रिटर्निंग ऑफिसरों की सूची

क्र. स.	जिला	जिला निर्वाचन अधिकारी	संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग ऑफिसर	एस.टी. डी.	कार्यालय	आवास	फ़ैक्स
1	अजमेर	जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर	रिटर्निंग ऑफिसर, संसदीय निर्वाचन क्षेत्र अजमेर	0145	2627450 2627421	2627221	2627421
2	अलवर	जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अलवर	रिटर्निंग ऑफिसर, संसदीय निर्वाचन क्षेत्र अलवर	0144	2337565	2337566	2336101
3	बांसवाड़ा	जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, बांसवाड़ा	रिटर्निंग ऑफिसर, संसदीय निर्वाचन क्षेत्र बांसवाड़ा	02962	240002	240001	240002
4	बारा	जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, बारा	-----	07453	230001	230021	230168
5	बाड़मेर	जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर	रिटर्निंग ऑफिसर, संसदीय निर्वाचन क्षेत्र बाड़मेर	02982	220003	220004	221074
6	भरतपुर	जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, भरतपुर	रिटर्निंग ऑफिसर, संसदीय निर्वाचन क्षेत्र भरतपुर	05644	223086	223316	223355
7	भीलवाड़ा	जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा	रिटर्निंग ऑफिसर, संसदीय निर्वाचन क्षेत्र भीलवाड़ा	01482	232601	232602	232601
8	बीकानेर	जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, बीकानेर	रिटर्निंग ऑफिसर, संसदीय निर्वाचन क्षेत्र बीकानेर	0151	2226000	2226001	2226032
9	बून्दी	जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, बून्दी	-----	0747	2443000	2443222	2443000
10	चित्तौड़गढ़	जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, चित्तौड़गढ़	रिटर्निंग ऑफिसर, संसदीय निर्वाचन क्षेत्र चित्तौड़गढ़	01472	240001	240002	240293
11	चुरू	जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, चुरू	रिटर्निंग ऑफिसर, संसदीय निर्वाचन क्षेत्र चुरू	01562	250806	250805	250082
12	दौसा	जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, दौसा	रिटर्निंग ऑफिसर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र , दौसा	01427	223433	220417 220533	223433
13	धौलपुर	जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, धौलपुर	-----	05642	220254	220202	220254
14	डूंगरपुर	जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, डूंगरपुर	-----	02964	231002	231001	231006
15	गंगानगर	जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, गंगानगर	रिटर्निंग ऑफिसर, संसदीय निर्वाचन क्षेत्र गंगानगर	0154	2445001	2445005	2445001
16	हनुमानगढ़	जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ़	-----	01552	260001	260002	260001
17	जयपुर	जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर	रिटर्निंग ऑफिसर, संसदीय निर्वाचन क्षेत्र जयपुर	0141	2209001	2712008	2209000
			अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट-1 रिटर्निंग ऑफिसर, संसदीय निर्वाचन क्षेत्र जयपुर ग्रामीण	0141	2209002	2784162	2209002
18	जैसलमेर	जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जैसलमेर	-----	02992	252201	252202	252201
19	जालौर	जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जालौर	रिटर्निंग ऑफिसर, संसदीय निर्वाचन क्षेत्र जालौर	02973	222207	222208	222207
20	झालावाड़	जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, झालावाड़	रिटर्निंग ऑफिसर, संसदीय निर्वाचन क्षेत्र झालावाड़-बारा	07432	230403	230402	230404

क्र. स.	जिला	जिला निर्वाचन अधिकारी	संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग ऑफिसर	एस.टी. डी.	कार्यालय	आवास	फैक्स
21	झुन्झुनू	जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, झुन्झुनू	रिटर्निंग ऑफिसर, संसदीय निर्वाचन क्षेत्र झुन्झुनू	01592	232333	232525	232333
22	जोधपुर	जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर	रिटर्निंग ऑफिसर, संसदीय निर्वाचन क्षेत्र जोधपुर	0291	2650322	2650344	2650302
23	करौली	जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, करौली	रिटर्निंग ऑफिसर, संसदीय निर्वाचन क्षेत्र करौली-धौलपुर	07464	250100	250122	250281
24	कोटा	जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, कोटा	रिटर्निंग ऑफिसर, संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कोटा	0744	2451200 2323883	2451100	2450165
25	नागौर	जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, नागौर	रिटर्निंग ऑफिसर, संसदीय निर्वाचन क्षेत्र नागौर	01582	241444 241786	241555	241444
26	पाली	जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, पाली	रिटर्निंग ऑफिसर, संसदीय निर्वाचन क्षेत्र पाली	02932	222575	222576	252675
27	राजसमंद	जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, राजसमंद	रिटर्निंग ऑफिसर, संसदीय निर्वाचन क्षेत्र राजसमन्द	02952	220536	220537	220536
28	स.माधोपुर	जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, स. माधोपुर	—	07462	220444	220333	220033
29	सीकर	जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, सीकर	रिटर्निंग ऑफिसर, संसदीय निर्वाचन क्षेत्र सीकर	01572	250005	250006	250007
30	सिरोही	जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही		02972	221187	221188	221187
31	टोंक	जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, टोंक	रिटर्निंग ऑफिसर, संसदीय निर्वाचन क्षेत्र टोंक-सवाई माधोपुर	01432	243026	243025	243026
32	उदयपुर	जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, उदयपुर	रिटर्निंग ऑफिसर, संसदीय निर्वाचन क्षेत्र उदयपुर	0294	2410834 5120234	2410285 5120002	2410834
33	प्रतापगढ़	जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ़	—	01478	222266	222277	222262

अध्याय 8

(क) राजस्थान के विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए रिटर्निंग ऑफिसरों की सूची

विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या एवं नाम	निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी
1. सादुलशहर	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर
2. गंगानगर	अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (शहर), श्रीगंगानगर
3. करणपुर	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, करणपुर
4. सूरतगढ़	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, सूरतगढ़
5. रायसिंहनगर (अ.जा.)	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, रायसिंहनगर
6. अनूपगढ़ (अ.जा.)	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, अनूपगढ़
7. संगरिया	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, संगरिया
8. हनुमानगढ़	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ़
9. पीलीबंगा (अ.जा.)	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, पीलीबंगा
10. नोहर	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, नोहर
11. भादरा	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, भादरा
12. खाजूवाला (अ.जा.)	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, खाजूवाला
13. बीकानेर पश्चिम	अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (शहर), बीकानेर
14. बीकानेर पूर्व	अतिरिक्त कलक्टर व अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं पदेन सचिव मंडी विकास समिति, बीकानेर
15. कोलायत	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, बीकानेर
16. लूणकरणसर	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, लूणकरणसर
17. डूंगरगढ़	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, डूंगरगढ़
18. नोखा	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, नोखा
19. सादुलपुर	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, राजगढ़ (चूरु)
20. तारानगर	अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, चूरु
21. सरदारशहर	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, सरदारशहर
22. चूरु	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, चूरु
23. रतनगढ़	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, रतनगढ़
24. सुजानगढ़ (अ.जा.)	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, सुजानगढ़
25. पिलानी (अ.जा.)	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, चिड़ावा
26. सूरजगढ़	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, झुन्झुनू
27. झुन्झुनू	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, झुन्झुनू
28. मंडावा	अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, झुन्झुनू
29. नवलगढ़	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, नवलगढ़
30. उदयपुरवाटी	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, उदयपुरवाटी
31. खेतड़ी	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, खेतड़ी

32.	फतेहपुर	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, फतेहपुर
33.	लक्ष्मणगढ़	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, लक्ष्मणगढ़
34.	धोद (अ.जा.)	सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, सीकर
35.	सीकर	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, सीकर
36.	दांता रामगढ़	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, दांता रामगढ़
37.	खंडेला	सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, खंडेला
38.	नीम का थाना	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, नीम का थाना
39.	श्रीमाधोपुर	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, श्रीमाधोपुर
40.	कोटपूतली	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, कोटपूतली
41.	विराटनगर	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, विराटनगर
42.	शाहपुरा	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, शाहपुरा
43.	चोमू	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, चोमू
44.	फुलेरा	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, सांभर
45.	दूदू (अ.जा.)	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, दूदू
46.	झोटवाड़ा	उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक, जयपुर
47.	आमेर	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, आमेर
48.	जमवारामगढ़ (अ.ज.जा.)	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, जमवारामगढ़
49.	हवा महल	सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, जयपुर शहर
50.	विद्याधर नगर	अतिरिक्त कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर (चतुर्थ)
51.	सिविल लाईन्स	अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, जयपुर
52.	किशन पोल	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, जयपुर
53.	आदर्श नगर	अतिरिक्त कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर (तृतीय)
54.	मालवीय नगर	अतिरिक्त कलक्टर (मुद्रांक), जयपुर
55.	सांगानेर	उप खण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट, सांगानेर
56.	बगरू (अ.जा.)	जिला रसद अधिकारी, जयपुर
57.	बरसी (अ.ज.जा.)	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, बरसी
58.	चाकसू (अ.जा.)	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, चाकसू
59.	तिजारा	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, तिजारा
60.	किशनगढ़बास	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, किशनगढ़बास
61.	मुण्डावर	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, मुण्डावर
62.	बहरोड़	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, बहरोड़
63.	बानसूर	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, बानसूर
64.	थानागाजी	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, थानागाजी
65.	अलवर ग्रामीण (अ.जा.)	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, अलवर
66.	अलवर शहर	अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (शहर) अलवर
67.	रामगढ़	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, रामगढ़
68.	राजगढ़-लक्ष्मणगढ़ (अ.ज.जा.)	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, राजगढ़

69.	कटूमर (अ.जा.)	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, कटूमर
70.	कामां	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, कामां
71.	नगर	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, नगर
72.	डीग-कुम्हेर	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, डीग
73.	भरतपुर	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, भरतपुर
74.	नदबई	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, नदबई
75.	वैर (अ.जा.)	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, वैर
76.	बयाना (अ.जा.)	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, बयाना
77.	बसेड़ी (अ.जा.)	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, बसेड़ी
78.	बाड़ी	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, बाड़ी
79.	धौलपुर	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, धौलपुर
80.	राजाखेड़ा	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, राजाखेड़ा
81.	टोडाभीम (अ.ज.जा.)	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, टोडाभीम
82.	हिन्डौन (अ.जा.)	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, हिन्डौन
83.	करौली	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, करौली
84.	सपोटरा (अ.ज.जा.)	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, सपोटरा
85.	बांदीकुई	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, बांदीकुई
86.	महवा	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, महवा
87.	सिकराय (अ.जा.)	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, सिकराय
88.	दौसा	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, दौसा
89.	लालसोट (अ.ज.जा.)	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, लालसोट
90.	गंगापुर	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, गंगापुर सिटी
91.	बामनवास (अ.ज.जा.)	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, बामनवास
92.	सवाई माधोपुर	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, सवाई माधोपुर
93.	खण्डार (अ.जा.)	सहायक कलक्टर व कार्यपालक मजिस्ट्रेट (मुख्यालय) सवाई माधोपुर
94.	मालपुरा	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, मालपुरा
95.	निवाई (अ.जा.)	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, निवाई
96.	टोंक	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, टोंक
97.	देवली-उनियारा	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, उनियारा
98.	किशनगढ़	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, किशनगढ़
99.	पुष्कर	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, अजमेर
100.	अजमेर उत्तर	सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (मुख्यालय) अजमेर
101.	अजमेर दक्षिण (अ.जा.)	अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (शहर) अजमेर
102.	नसीराबाद	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, नसीराबाद
103.	ब्यावर	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, ब्यावर
104.	मसूदा	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, मसूदा
105.	केकड़ी	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, केकड़ी

106.	लाडनूं	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, लाडनूं
107.	डीडवाना	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, डीडवाना
108.	जायल (अ.जा.)	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, जायल
109.	नागौर	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, नागौर
110.	खींवरसर	सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (मुख्यालय) नागौर
111.	मेड़ता (अ.जा.)	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, मेड़ता
112.	डेगाना	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, डेगाना
113.	मकराना	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, मकराना
114.	परबतसर	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, परबतसर
115.	नांवा	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, नांवा
116.	जैतारण	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, जैतारण
117.	सोजत (अ.जा.)	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, सोजत
118.	पाली	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, पाली
119.	मारवाड़ जंक्शन	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, देसूरी
120.	बाली	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, बाली
121.	सुमेरपुर	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, सुमेरपुर
122.	फलोदी	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, फलोदी
123.	लोहावट	अतिरिक्त कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (भू.रू) जोधपुर
124.	शेरगढ़	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, शेरगढ़
125.	ओसियां	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, ओसियां
126.	भोपालगढ़ (अ.जा.)	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, पीपाड़शहर
127.	सरदारपुरा	अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (द्वितीय) जोधपुर
128.	जोधपुर	अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (शहर), जोधपुर
129.	सूरसागर	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, जोधपुर
130.	लूणी	जिला रसद अधिकारी, जोधपुर
131.	बिलाड़ा (अ.जा.)	सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, बिलाड़ा
132.	जैसलमेर	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, जैसलमेर
133.	पोकरण	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, पोकरण
134.	शिव	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, शिव
135.	बाड़मेर	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, बाड़मेर
136.	बायतू	भूमि अवाप्ति अधिकारी (राजस्थान स्टेट माईन्स एवं मिनरल्स लि0) बाड़मेर
137.	पचपदरा	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, बालोतरा
138.	सिवाना	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् बाड़मेर
139.	गुड़ा मालानी	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, गुड़ा मालानी (मु0) बाड़मेर
140.	चोहटन (अ.जा.)	अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, बाड़मेर
141.	आहोर	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, आहोर
142.	जालोर (अ.जा.)	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, जालोर

143.	भीनमाल	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, भीनमाल
144.	सांचोर	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, सांचोर
145.	रानीवाड़ा	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, रानीवाड़ा
146.	सिरोही	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, सिरोही
147.	पिंडवाड़ा आबू (अ.ज.जा.)	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, आबू पर्वत
148.	रेवदर (अ.जा.)	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, रेवदर
149.	गोगून्दा (अ.ज.जा.)	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, कोटड़ा
150.	झाडोल (अ.ज.जा.)	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, झाडोल
151.	खैरवाड़ा (अ.ज.जा.)	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, खैरवाड़ा
152.	उदयपुर ग्रामीण (अ.ज.जा.)	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, गिर्वा
153.	उदयपुर	अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (शहर) उदयपुर
154.	मावली	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, मावली
155.	वल्लभनगर	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, वल्लभनगर
156.	सलूमबर (अ.ज.जा.)	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, सलूमबर
158.	डूंगरपुर (अ.ज.जा.)	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, डूंगरपुर
159.	आसपुर (अ.ज.जा.)	अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, डूंगरपुर
160.	सागवाड़ा (अ.ज.जा.)	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, सागवाड़ा
161.	चौरासी (अ.ज.जा.)	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, सीमलवाड़ा (मु0) धम्बोला
162.	घाटोल (अ.ज.जा.)	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, घाटोल
163.	गढ़ी (अ.ज.जा.)	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद बांसवाड़ा
164.	बांसवाड़ा (अ.ज.जा.)	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, बांसवाड़ा
165.	बागीदोरा (अ.ज.जा.)	अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, बांसवाड़ा
166.	कुशलगढ़ (अ.ज.जा.)	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, कुशलगढ़
167.	कपासन (अ.जा.)	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, कपासन
168.	बेगूं	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, बेगूं
169.	चित्तौड़गढ़	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, चित्तौड़गढ़
170.	निम्बाहेड़ा	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, निम्बाहेड़ा
171.	बड़ी सादड़ी	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, बड़ी सादड़ी
157.	धरियावद (अ.ज.जा.)	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, धरियावद
172.	प्रतापगढ़ (अ.ज.जा.)	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ़
173.	भीम	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, भीम
174.	कुम्भलगढ़	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, कुम्भलगढ़
175.	राजसमन्द	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, राजसमन्द
176.	नाथद्वारा	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, नाथद्वारा
177.	आसीन्द	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, गुलाबपुरा
178.	माण्डल	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, माण्डल
179.	सहाड़ा	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, गंगापुर

180.	भीलवाड़ा	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा
181.	शाहपुरा (अ.जा.)	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, शाहपुरा
182.	जहाजपुर	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, जहाजपुर
183.	माण्डलगढ़	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, माण्डलगढ़
184.	हिण्डोली	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, हिण्डोली
185.	केशोरायपाटन (अ.जा.)	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, केशोरायपाटन
186.	बून्दी	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, बून्दी
187.	पीपल्दा	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, इटावा
188.	सांगोद	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, सांगोद
189.	कोटा उत्तर	अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, कोटा
190.	कोटा दक्षिण	अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (शहर) कोटा
191.	लाडपुरा	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, कोटा
192.	रामगंज मण्डी (अ.जा.)	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, रामगंज मण्डी
193.	अंता	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, मांगरोल
194.	किशनगंज (अ.ज.जा.)	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, किशनगंज
195.	बारां-अटरू (अ.जा.)	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, बारां
196.	छबड़ा	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, छबड़ा
197.	डग (अ.जा.)	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, भवानीमण्डी
198.	झालरापाटन	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, झालावाड़
199.	खानपुर	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, खानपुर
200.	मनोहर थाना	उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, मनोहर थाना

(ख) 15वीं लोकसभा के लिये रिटर्निंग आफिसरों की सूची

संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की क्रम संख्या तथा नाम	रिटर्निंग आफिसर
1. गंगानगर (अ.जा.)	जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, गंगानगर
2. बीकानेर (अ.जा.)	जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, बीकानेर
3. चूरू	जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, चूरू
4. झुन्झुनू	जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, झुन्झुनू
5. सीकर	जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, सीकर
6. जयपुर ग्रामीण	अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रथम), जयपुर
7. जयपुर	जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर
8. अलवर	जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अलवर
9. भरतपुर (अ.जा.)	जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, भरतपुर
10. करौली-धौलपुर (अ.जा.)	जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, करौली
11. दौसा (अ.ज.जा.)	जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, दौसा
12. टोंक-सवाई माधोपुर	जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, टोंक
13. अजमेर	जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर
14. नागौर	जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, नागौर
15. पाली	जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, पाली
16. जोधपुर	जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर
17. बाड़मेर	जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर
18. जालोर	जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जालोर
19. उदयपुर (अ.ज.जा.)	जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, उदयपुर
20. बांसवाडा (अ.ज.जा.)	जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, बांसवाडा
21. चित्तौडगढ़	जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, चित्तौडगढ़
22. राजसमन्द	जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, राजसमन्द
23. भीलवाडा	जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाडा
24. कोटा	जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, कोटा
25. झालावाड़-बारां	जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, झालावाड़

अध्याय 9

निर्वाचन विभाग के अधिकारियों के पदनाम और कार्यालय/आवास दूरभाष संख्यांक

पदनाम	नाम	कार्यालय	फैक्स	आवास
मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं प्रमुख शासन सचिव	श्री विनोद जुत्शी	2227411	2227200	-
संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं उप शासन सचिव	श्री पी. सी. गुप्ता	2227794 2227472	2227794	2701212
उप मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सूचना प्रौद्योगिकी)	श्री एम.एम. तिवाडी	2227003	-	2317045
मुख्य लेखाधिकारी	श्रीमती कीर्ति जैन	2227174	-	2292869
सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी (भण्डार)	श्री विनोद कुमार पारीक	-	-	2319922
सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी (निर्वाचन)	श्री राजेन्द्र सिंह	-	-	-

अध्याय 10

13वीं राजस्थान विधानसभा, 2008 के निर्वाचित सदस्यों की सूची

क्र.सं.	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम	विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचित सदस्य का नाम	दल सहबद्धता
1	सादुलशहर	श्री संतोष कुमार सहारण	इंडियन नेशनल कांग्रेस
2	गंगानगर	श्री राधेश्याम (गंगानगर)	भारतीय जनता पार्टी
3	करणपुर	श्री गुरमीत सिंह कुन्नर	निर्दलीय
4	सूरतगढ़	श्री गंगाजल	इंडियन नेशनल कांग्रेस
5	रायसिंहनगर (अ.जा.)	श्री दौलतराज	इंडियन नेशनल कांग्रेस
6	अनूपगढ़ (अ.जा.)	श्री पवन कुमार दुग्गल	कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इण्डिया (माक्सिसिस्ट)
7	संगरिया	श्रीमती परमनवदीप	इंडियन नेशनल कांग्रेस
8	हनुमानगढ़	श्री विनोद कुमार "लीलावाली"	इंडियन नेशनल कांग्रेस
9	पीलीबंगा (अ.जा.)	श्री आद राम	इंडियन नेशनल कांग्रेस
10	नोहर	श्री अभिषेक मटोरिया	भारतीय जनता पार्टी
11	भादरा	श्री जयदीप	निर्दलीय
12	खाजूवाला (अ.जा.)	श्री विश्वनाथ	भारतीय जनता पार्टी
13	बीकानेर पश्चिम	श्री गोपाल कृष्ण	भारतीय जनता पार्टी
14	बीकानेर पूर्व	सुश्री सिद्धि कुमारी	भारतीय जनता पार्टी
15	कोलायत	श्री देवीसिंह भाटी	भारतीय जनता पार्टी
16	लूणकरणसर	श्री वीरेन्द्र बेनीवाल	इंडियन नेशनल कांग्रेस
17	डूंगरगढ़	श्री मंगलाराम	इंडियन नेशनल कांग्रेस
18	नोखा	श्री कन्हैयालाल झंवर/छगनलाल	निर्दलीय
19	सादुलपुर	श्रीमती कमला कसवाँ	भारतीय जनता पार्टी
20	तारानगर	श्री राजेन्द्र राठौड	भारतीय जनता पार्टी
21	सरदारशहर	श्री अशोक कुमार	भारतीय जनता पार्टी
22	चूरु	श्री हाजी मकबूल	इंडियन नेशनल कांग्रेस
23	रतनगढ़	श्री राज कुमार रिणवां	भारतीय जनता पार्टी
24	सुजानगढ़ (अ.जा.)	मास्टर भंवरलाल	इंडियन नेशनल कांग्रेस
25	पिलानी (अ.जा.)	श्री सुन्दरलाल	भारतीय जनता पार्टी
26	सूरजगढ़	श्री श्रवण कुमार	इंडियन नेशनल कांग्रेस
27	झुन्झुनू	श्री बृजेन्द्र सिंह ओला	इंडियन नेशनल कांग्रेस

28	मण्डावा	कुमारी रीटा चौधरी	इंडियन नेशनल कांग्रेस
29	नवलगढ़	डॉ० राजकुमार शर्मा	बहुजन समाज पार्टी
30	उदयपुरवाटी	श्री राजेन्द्र सिंह	बहुजन समाज पार्टी
31	खेतड़ी	श्री जितेन्द्र सिंह	इंडियन नेशनल कांग्रेस
32	फतेहपुर	श्री भंवरू खान	इंडियन नेशनल कांग्रेस
33	लक्ष्मणगढ़	श्री गोविन्द सिंह डोटासरा	इंडियन नेशनल कांग्रेस
34	धोद (अ.जा.)	श्री पेमा राम	कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इण्डिया (माक्सिसिस्ट)
35	सीकर	श्री राजेन्द्र पारीक	इंडियन नेशनल कांग्रेस
36	दांता रामगढ़	श्री अमरा राम	कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इण्डिया (माक्सिसिस्ट)
37	खण्डेला	श्री बंशीधर	भारतीय जनता पार्टी
38	नीम का थाना	श्री रमेश चन्द खण्डेलवाल	इंडियन नेशनल कांग्रेस
39	श्रीमाधोपुर	श्री दीपेन्द्र सिंह	इंडियन नेशनल कांग्रेस
40	कोटपूतली	श्री रामस्वरूप कसाना	लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी
41	विराटनगर	डॉ. फूल चन्द भिण्डा	भारतीय जनता पार्टी
42	शाहपुरा	श्री राव राजेन्द्र सिंह	भारतीय जनता पार्टी
43	चौमूं	श्री भगवान सहाय सैनी	इंडियन नेशनल कांग्रेस
44	फुलेरा	श्री निर्मल कुमावत	भारतीय जनता पार्टी
45	दूदू (अ.जा.)	श्री बाबू लाल नागर	इंडियन नेशनल कांग्रेस
46	झोटवाड़ा	श्री राजपाल सिंह शेखावत	भारतीय जनता पार्टी
47	आमेर	श्री गंगासहाय	इंडियन नेशनल कांग्रेस
48	जमवारामगढ़ (अ.ज.जा.)	श्री गोपाल मीणा	इंडियन नेशनल कांग्रेस
49	हवामहल	श्री ब्रज किशोर शर्मा	इंडियन नेशनल कांग्रेस
50	विद्याघर नगर	श्री नरपत सिंह राजवी	भारतीय जनता पार्टी
51	सिविल लाईन्स	श्री प्रताप सिंह खाचरियावास	इंडियन नेशनल कांग्रेस
52	किशन पोल	श्री मोहन लाल गुप्ता	भारतीय जनता पार्टी
53	आदर्श नगर	श्री अशोक परनामी	भारतीय जनता पार्टी
54	मालवीय नगर	श्री कालीचरण सराफ	भारतीय जनता पार्टी
55	सांगानेर	श्री घनश्याम तिवाड़ी	भारतीय जनता पार्टी
56	बगरू (अ.जा.)	श्रीमती गंगा देवी	इंडियन नेशनल कांग्रेस
57	बस्सी (अ.ज.जा.)	श्रीमती अन्जू देवी धानका	निर्दलीय
58	चाकसू (अ.जा.)	श्रीमती प्रोमिला	भारतीय जनता पार्टी
59	तिजारा	श्री एमादुद्दीन उर्फ दुरू मियां	इंडियन नेशनल कांग्रेस

60	किशनगढ़बास	श्री रामहेत सिंह	भारतीय जनता पार्टी
61	मुण्डावर	मेजर ओ० पी० यादव	इंडियन नेशनल कांग्रेस
62	बहरोड़	डॉ. जसवन्तसिंह यादव	भारतीय जनता पार्टी
63	बानसूर	श्री रोहिताश कुमार	भारतीय जनता पार्टी
64	थानागाजी	श्री हेमसिंह भडाना	भारतीय जनता पार्टी
65	अलवर ग्रामीण (अ.जा.)	श्री टीकाराम	इंडियन नेशनल कांग्रेस
66	अलवर शहर	श्री बनवारी लाल सिंघल	भारतीय जनता पार्टी
67	रामगढ़	श्री ज्ञानदेव आहुजा	भारतीय जनता पार्टी
68	राजगढ़-लक्ष्मणगढ़(अजजा.)	श्री सूरज भान	समाजवादी पार्टी
69	कटूमर (अ.जा.)	श्री बाबूलाल	भारतीय जनता पार्टी
70	कामां	श्रीमती जाहिदा	इंडियन नेशनल कांग्रेस
71	नगर	श्रीमती अनीता	भारतीय जनता पार्टी
72	डीग-कुम्हेर	डॉ. दिगम्बर सिंह	भारतीय जनता पार्टी
73	भरतपुर	श्री विजय बंसल (पप्पू)	भारतीय जनता पार्टी
74	नदबई	श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (दीपा)	भारतीय जनता पार्टी
75	वैर (अ.जा.)	श्री बहादुर सिंह	भारतीय जनता पार्टी
76	बयाना (अ.जा.)	श्री ग्यारसाराम	भारतीय जनता पार्टी
77	बसेड़ी (अ.जा.)	श्री सुखराम	भारतीय जनता पार्टी
78	बाड़ी	श्री गिर्राजसिंह	बहुजन समाज पार्टी
79	धौलपुर	श्री अब्दुल सगीर खाँ	भारतीय जनता पार्टी
80	राजाखेड़ा	श्री रवीन्द्र सिंह बोहरा	भारतीय जनता पार्टी
81	टोडाभीम (अ.ज.जा.)	श्री रमेश चन्द मीणा	भारतीय जनता पार्टी
82	हिन्डौन (अ.जा.)	श्री भरोसी लाल	इंडियन नेशनल कांग्रेस
83	करौली	श्रीमती रोहिणी कुमारी	भारतीय जनता पार्टी
84	सपोटरा (अ.ज.जा.)	श्री रमेश	बहुजन समाज पार्टी
85	बांदीकुई	श्री राम किशोर	निर्दलीय
86	महवा	श्रीमती गोलमा	निर्दलीय
87	सिकराय (अ.जा.)	श्रीमती ममता भुपेश	इंडियन नेशनल कांग्रेस
88	दौसा	श्री मुरारी लाल मीणा	बहुजन समाज पार्टी
89	लालसोट (अ.ज.जा.)	श्री परसादी लाल	निर्दलीय
90	गंगापुर	श्री रामकेश	बहुजन समाज पार्टी
91	बामनवास (अ.ज.जा.)	श्री नवलकिशोर	इंडियन नेशनल कांग्रेस
92	सवाई माधोपुर	श्री अलाउद्दीन आजाद	इंडियन नेशनल कांग्रेस

93	खण्डार (अ.जा.)	श्री अशोक	इंडियन नेशनल कांग्रेस
94	मालपुरा	श्री रणवीर पहलवान	निर्दलीय
95	निवाई (अ.जा.)	श्री कमल बैरवा	इंडियन नेशनल कांग्रेस
96	टोंक	श्रीमती जकिया	इंडियन नेशनल कांग्रेस
97	देवली – उनियारा	श्री रामनारायण मीणा	इंडियन नेशनल कांग्रेस
98	किशनगढ़	श्री नाथूराम सिनोदिया	इंडियन नेशनल कांग्रेस
99	पुष्कर	श्रीमती नसीम अख्तर इंसाफ	इंडियन नेशनल कांग्रेस
100	अजमेर उत्तर	श्री वासुदेव देवनानी	भारतीय जनता पार्टी
101	अजमेर दक्षिण (अ.जा.)	श्रीमती अनिता भदेल	भारतीय जनता पार्टी
102	नसीराबाद	श्री महेन्द्र सिंह	इंडियन नेशनल कांग्रेस
103	ब्यावर	श्री शंकर सिंह	भारतीय जनता पार्टी
104	मसूदा	श्री ब्रह्मदेव	निर्दलीय
105	केकड़ी	श्री रघुनंदन	इंडियन नेशनल कांग्रेस
106	लाडनूं	श्री हरजीराम	निर्दलीय
107	डीडवाना	श्री रूपाराम	इंडियन नेशनल कांग्रेस
108	जायल (अ.जा.)	श्रीमती मंजू देवी	इंडियन नेशनल कांग्रेस
109	नागौर	श्री हबीबुर्रहमान	भारतीय जनता पार्टी
110	खींवसर	श्री हनुमान बैनिवाल	भारतीय जनता पार्टी
111	मेड़ता (अ.जा.)	श्री सुखाराम	भारतीय जनता पार्टी
112	डेगाना	श्री अजयसिंह	भारतीय जनता पार्टी
113	मकराना	श्री जाकीर हुसैन	इंडियन नेशनल कांग्रेस
114	परबतसर	श्री मानसिंह	भारतीय जनता पार्टी
115	नावां	श्री महेन्द्र चौधरी	इंडियन नेशनल कांग्रेस
116	जैतारण	श्री दिलीप चौधरी	निर्दलीय
117	सोजत (अ.जा.)	श्रीमती संजना आगरी	भारतीय जनता पार्टी
118	पाली	श्री ज्ञानचंद पारख	भारतीय जनता पार्टी
119	मारवाड़ जंक्शन	श्री केसाराम चौधरी	भारतीय जनता पार्टी
120	बाली	श्री पुष्पेन्द्र सिंह	भारतीय जनता पार्टी
121	सुमेरपुर	बीना काक	इंडियन नेशनल कांग्रेस
122	फलोदी	श्री ओम जोशी	इंडियन नेशनल कांग्रेस
123	लोहावट	श्री गजेन्द्रसिंह खींवसर	भारतीय जनता पार्टी
124	शेरगढ़	श्री बाबूसिंह राठौड़	भारतीय जनता पार्टी
125	ओसियां	श्री महीपाल मदेरणा	इंडियन नेशनल कांग्रेस

126	भोपालगढ़ (अ.जा.)	श्रीमती कमसा	भारतीय जनता पार्टी
127	सरदारपुरा	श्री अशोक गहलोत	इंडियन नेशनल कांग्रेस
128	जोधपुर	श्री कैलाश भंसाली	भारतीय जनता पार्टी
129	सूरसागर	श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास	भारतीय जनता पार्टी
130	लूणी	श्री मलखान सिंह	इंडियन नेशनल कांग्रेस
131	बिलाड़ा (अ.जा.)	श्री अर्जुन लाल	भारतीय जनता पार्टी
132	जैसलमेर	श्री छोटू सिंह	भारतीय जनता पार्टी
133	पोकरण	श्री शाले मोहम्मद	इंडियन नेशनल कांग्रेस
134	शिव	श्री अमीनखां	इंडियन नेशनल कांग्रेस
135	बाड़मेर	श्री मेवाराम जैन	इंडियन नेशनल कांग्रेस
136	बायतु	कर्नल सोनाराम	इंडियन नेशनल कांग्रेस
137	पचपदरा	श्री मदन	इंडियन नेशनल कांग्रेस
138	सिवाना	श्री कानसिंह	भारतीय जनता पार्टी
139	गुड़ा मालानी	श्री हेमाराम चौधरी	इंडियन नेशनल कांग्रेस
140	चोहटन (अ.जा.)	श्री पदमाराम	इंडियन नेशनल कांग्रेस
141	आहोर	श्री भगराज	इंडियन नेशनल कांग्रेस
142	जालोर (अ.जा.)	श्री रामलाल मेघवाल	इंडियन नेशनल कांग्रेस
143	भीनमाल	श्री पूरा राम चौधरी	भारतीय जनता पार्टी
144	सांचोर	श्री जीवाराम चौधरी	निर्दलीय
145	रानीवाड़ा	श्री रतन	इंडियन नेशनल कांग्रेस
146	सिरोही	श्री ओटाराम	भारतीय जनता पार्टी
147	पिण्डवाड़ा आबू (अ.ज.जा.)	श्रीमती गंगा	इंडियन नेशनल कांग्रेस
148	रेवदर (अ.जा.)	श्री जगसी राम	भारतीय जनता पार्टी
149	गोगून्दा (अ.ज.जा.)	श्री मांगीलाल गरासिया	इंडियन नेशनल कांग्रेस
150	झाडोल (अ.ज.जा.)	श्री बाबु लाल खराड़ी	भारतीय जनता पार्टी
151	खेरवाड़ा (अ.ज.जा.)	श्री दयाराम परमार	इंडियन नेशनल कांग्रेस
152	उदयपुर ग्रामीण(अ.ज.जा.)	श्रीमती सज्जन कटारा	इंडियन नेशनल कांग्रेस
153	उदयपुर	श्री गुलाब चन्द कटारिया	भारतीय जनता पार्टी
154	मावली	श्री पुष्करलाल	इंडियन नेशनल कांग्रेस
155	वल्लभनगर	श्री गजेन्द्र सिंह शक्तावत	इंडियन नेशनल कांग्रेस
156	सलूम्बर (अ.ज.जा.)	श्रीमती बसन्ती	इंडियन नेशनल कांग्रेस
157	धरियावद (अ.ज.जा.)	श्री नगराज	इंडियन नेशनल कांग्रेस
158	डूंगरपुर (अ.ज.जा.)	श्री लाल शंकर घाटिया	इंडियन नेशनल कांग्रेस

159	आसपुर (अ.ज.जा.)	श्री राईयाजी	इंडियन नेशनल कांग्रेस
160	सागवाड़ा (अ.ज.जा.)	श्री सुरेन्द्र कुमार	इंडियन नेशनल कांग्रेस
161	चौरासी (अ.ज.जा.)	श्री शंकर लाल अहारी	इंडियन नेशनल कांग्रेस
162	घाटोल (अ.ज.जा.)	श्री नानालाल	निर्दलीय
163	गढ़ी (अ.ज.जा.)	श्रीमती कांता गरासिया	इंडियन नेशनल कांग्रेस
164	बांसवाड़ा (अ.ज.जा.)	श्री अर्जून सिंह बामनिया	इंडियन नेशनल कांग्रेस
165	बागीदोरा (अ.ज.जा.)	श्री महेन्द्रजीत सिंह	इंडियन नेशनल कांग्रेस
166	कुशलगढ़ (अ.ज.जा.)	श्री फतेह सिंह	जनता दल (यूनाईटेड)
167	कपासन (अ.जा.)	श्री शंकर	इंडियन नेशनल कांग्रेस
168	बेगूं	श्री राजेन्द्र सिंह	इंडियन नेशनल कांग्रेस
169	चित्तौड़गढ़	श्री सुरेन्द्र सिंह	इंडियन नेशनल कांग्रेस
170	निम्बाहेड़ा	श्री अंजना उदयलाल	इंडियन नेशनल कांग्रेस
171	बड़ी सादड़ी	श्री प्रकाश चन्द्र चौधरी	इंडियन नेशनल कांग्रेस
172	प्रतापगढ़ (अ.ज.जा.)	श्री नन्दलाल	भारतीय जनता पार्टी
173	भीम	श्री हरिसिंह रावत (पन्ना सिंह)	भारतीय जनता पार्टी
174	कुम्भलगढ़	श्री गणेश सिंह परमार	इंडियन नेशनल कांग्रेस
175	राजसमन्द	श्रीमती किरण माहेश्वरी	भारतीय जनता पार्टी
176	नाथद्वारा	श्री कल्याण सिंह चौहान	भारतीय जनता पार्टी
177	आसीन्द	श्री रामलाल गूर्जर	भारतीय जनता पार्टी
178	माण्डल	श्री राम लाल	इंडियन नेशनल कांग्रेस
179	सहाड़ा	श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी	इंडियन नेशनल कांग्रेस
180	भीलवाड़ा	श्री विठ्ठलशंकर अवस्थी	भारतीय जनता पार्टी
181	शाहपुरा (अ.जा.)	श्री महावीर प्रसाद मोची	इंडियन नेशनल कांग्रेस
182	जहाजपुर	श्री शिवजीराम मीणा	भारतीय जनता पार्टी
183	माण्डलगढ़	श्री प्रदीप कुमार सिंह	इंडियन नेशनल कांग्रेस
184	हिण्डोली	श्री प्रभुलाल	भारतीय जनता पार्टी
185	केशोरायपाटन (अ.जा.)	श्री सी.एल.प्रेमी	इंडियन नेशनल कांग्रेस
186	बून्दी	श्री अशोक डोगरा	भारतीय जनता पार्टी
187	पीपल्दा	श्री प्रेम चन्द	इंडियन नेशनल कांग्रेस
188	सांगोद	श्री भरत सिंह कुन्दनपुर	इंडियन नेशनल कांग्रेस
189	कोटा उत्तर	श्री शान्ती कुमार धारीवाल	इंडियन नेशनल कांग्रेस
190	कोटा दक्षिण	श्री ओम बिरला	भारतीय जनता पार्टी
191	लाडपुरा	श्री भवानी सिंह राजावत	भारतीय जनता पार्टी

192	रामगंज मण्डी (अ.जा.)	श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल	भारतीय जनता पार्टी
193	अंता	श्री प्रमोद कुमार (भाया)	इंडियन नेशनल कांग्रेस
194	किशनगंज (अ.ज.जा.)	श्रीमती निर्मला	इंडियन नेशनल कांग्रेस
195	बारां-अटरू (अ.जा.)	श्री पानाचन्द	इंडियन नेशनल कांग्रेस
196	छबड़ा	श्री करणसिंह	इंडियन नेशनल कांग्रेस
197	डग (अ.जा.)	श्री मदनलाल	इंडियन नेशनल कांग्रेस
198	झालरापाटन	श्रीमती वसुन्धरा राजे	भारतीय जनता पार्टी
199	खानपुर	श्री अनिल कुमार	भारतीय जनता पार्टी
200	मनोहर थाना	श्री कैलाश चन्द मीणा	इंडियन नेशनल कांग्रेस

अध्याय 11

कृत्यों के निर्वहण के लिए नियम, विनियमन अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख

क्र.स.	अधिनियम, नियम, विनियम, निर्देशिका आदि का नाम	विषय वस्तु/संदर्भ संख्या यदि कोई हो का संक्षिप्त सार	कीमत यदि कोई हो (रुपये)
1.	निर्वाचन विधि निर्देशिका, जिल्द-I	<ol style="list-style-type: none"> 1. संविधान से उद्धरण 2. भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) से उद्धरण 3. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का 43) 4. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) 5. दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1991 (1992 का 1) से उद्धरण 6. परिसीमन अधिनियम, 2002 (2002 का 33) 7. अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976 (1976 का 108) 8. अधिकारी जिनके समक्ष अभ्यर्थी शपथ ले सकेंगे या प्रतिज्ञान कर सकेंगे। 9. संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950 10. संविधान (अनुसूचित जातियां) संघ राज्य क्षेत्र आदेश, 1951 11. निरहताओं को हटाने संबंधी विधि और अन्य सूचनाएं 	600 / -
2.	निर्वाचन विधि निर्देशिका, जिल्द-II	<ol style="list-style-type: none"> 1. निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 2. निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 3. निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण और आवंटन) आदेश, 1968 4. जम्मू काश्मीर राज्य के विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों से भिन्न सभी संसदीय और विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में निर्वाचनों के संबंध में राजनैतिक दलों और प्रतीकों की सूची 5. परिषद निर्वाचन क्षेत्र परिसीमन आदेश 6. भ्रष्ट आचारण के बारे में अर्जी स्वीकार करने के लिए धारा 8-क के अधीन विनिर्दिष्ट प्राधिकारी 7. वे अधिकारी जिनके समक्ष किसी संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभा में कोई स्थान भरने के लिए निर्वाचन के निमित्त कोई अभ्यर्थी शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा और हस्ताक्षर करेगा 	दोनों जिल्दों के लिए

क्र.स.	अधिनियम, नियम, विनियम, निर्देशिका आदि का नाम	विषय वस्तु/संदर्भ संख्या यदि कोई हो का संक्षिप्त सार	कीमत यदि कोई हो (रुपये)
3.	अभ्यर्थियों के लिए पुस्तिका	किसी निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी के रूप में खड़े होने के लिए निर्वाचन विधि और प्रक्रिया के मुख्य उपबंध	100 / -
4.	मतदान केन्द्रों के लिए पुस्तिका	निर्वाचन के लिए किसी मतदान केन्द्र पर मतदान अभिकर्ता के रूप में कर्तव्यों के निर्वहण के संबंध में निर्वाचन विधि एवं प्रक्रिया के मुख्य उपबंध।	50 / -
5.	गणन अभिकर्ताओं के लिए पुस्तिका	किसी निर्वाचन के लिए गणना केन्द्र पर गणन अभिकर्ता के रूप में कर्तव्यों के निर्वहण के संबंध में निर्वाचन विधि और प्रक्रिया के मुख्य उपबंध	50 / -

उपर्युक्त सभी पुस्तकें, भारत निर्वाचन आयोग, निर्वाचन सदन, अशोका रोड, नई दिल्ली-110001 में उपलब्ध हैं और इस कार्यालय से क्रय की जा सकेंगी। इन पुस्तिकाओं की विषयवस्तु भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट (www.eci.nic.in) पर भी उपलब्ध है। अभ्यर्थियों के लिए पुस्तिकाएं, मतदान अभिकर्ताओं के लिए पुस्तिकाएं, गणन अभिकर्ताओं के लिए पुस्तिकाएं जिला निर्वाचन अधिकारियों के यहां निर्वाचन के दौरान विक्रय के लिए उपलब्ध रहेंगी। निर्वाचक नामावलियों की प्रतियाँ संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी के यहां भी उपलब्ध रहेंगी।

भारत निर्वाचन आयोग के उपर्युक्त प्रकाशनों के अलावा इस विभाग ने निम्नलिखित प्रकाशन भी प्रकाशित किये हैं जो विक्रय के लिए भी उपलब्ध हैं।

1.	निर्वाचन की व्यवस्था और सांख्यिकीय सूचना	12वीं-विधानसभा आम निर्वाचन - 2003	120 / -
2.	सांख्यिकीय रिपोर्ट	11वीं-विधानसभा आम निर्वाचन - 1998	70 / -
3.	निर्वाचन की व्यवस्था और सांख्यिकीय सूचना	14वीं- लोकसभा आम निर्वाचन - 2004	90 / -
4.	राजस्थान राज्य के लिए सांख्यिकीय रिपोर्ट	13वीं-लोकसभा आम निर्वाचन - 1999	25 / -
5.	निर्वाचन की व्यवस्था और सांख्यिकीय सूचना	13वीं-विधानसभा आम निर्वाचन - 2008	120 / -
6.	निर्वाचन की व्यवस्था और सांख्यिकीय सूचना	15वीं-लोकसभा आम निर्वाचन - 2009	140 / -

अध्याय 12

दस्तावेजों के प्रवर्गों के विवरण जो उसके नियन्त्रणाधीन रखे जाते हैं

क्र.स.	अभिलेख की प्रकृति	उपलब्ध सूचना का ब्यौरा	यूनिट/अनुभाग जहां उपलब्ध है	प्रतिधारण अवधि
1.	निर्वाचक नामावली	निर्वाचकों के नाम मतदान केन्द्र के अनुसार, विधानसभा क्षेत्रानुसार	संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण ऑफिसरों के कार्यालय में	भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार
2.	निर्वाचन से संबंधित अभिलेख	शपथपत्रों, परिणामों, प्ररूप 20, प्ररूप 21 ग, 21 घ, 21 ङ इत्यादि सहित नाम-निर्देशन पत्र	जिला निर्वाचन अधिकारियों के कार्यालय में	भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार और किसी भी न्यायालय के आदेश के आधार पर भी

अध्याय 13

मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय के प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रामिक

क्र.स.	पदनाम	वेतनमान	पदों की संख्या
1.	2.	3.	4.
1.	मुख्य निर्वाचन अधिकारी (आई.ए.एस.)	37400-67000	1
2.	संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी (आर.ए.एस.)	15600-39100	1
3.	उप मुख्य निर्वाचन अधिकारी (आई.टी.)	15600-39100	1
4.	मुख्य लेखाधिकारी	15600-39100	1
5.	सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी (स्टोर)(आर.ए.एस.)	9300-34800	1
6.	सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी (निर्वाचन)	9300-34800	1
7.	वरिष्ठ निजी सहायक	9300-34800	1
8.	प्रोग्रामर	9300-34800	1
9.	लेखाकार	9300-34800	2
10.	कनिष्ठ लेखाकार	9300-34800	4
11.	सांख्यिकी सहायक	9300-34800	1
12.	कार्यालय अधीक्षक	9300-34800	1
13.	कार्यालय सहायक	9300-34800	3
14.	विधि सहायक	9300-34800	1
15.	सहायक प्रोग्रामर	9300-34800	2
16.	सूचना सहायक	9300-34800	2
17.	निजी सहायक	9300-34800	1
18.	स्टेनो	9300-34800	1
19.	वरिष्ठ लिपिक	5200-20000	5
20.	कनिष्ठ लिपिक	5200-20000	6
21.	मशीन ऑपरेटर	5200-20000	1
22.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारीगण	4750-7440	13

अध्याय 14

बजट आवंटन

निर्वाचन से संबंधित विभिन्न क्रियाकलापों को संचालित करने के लिए निर्वाचन विभाग के लिए निधियां मौटे तौर पर निम्नानुसार अपेक्षित हैं:

1. राजस्थान विधान सभा के स्थान/स्थानों के निर्वाचन/उप-निर्वाचनों को संचालित करने के लिए अपेक्षित निधियों का वहन राजस्थान सरकार करती है।
2. संसद् के स्थान/स्थानों के निर्वाचन/उप-निर्वाचनों को संचालित करने के लिए अपेक्षित निधियों का वहन भारत सरकार करती है।
3. राजस्थान विधानसभा और लोकसभा के एक साथ निर्वाचनों की दशा में निधियों का वहन भारत सरकार और राजस्थान सरकार द्वारा 50 : 50 आधार पर किया जाता है।
4. निर्वाचक नामावलियों की तैयारी/अद्यतन, निर्वाचकों के फोटो पहचान पत्रों की तैयारी और जारी करने और निर्वाचन कार्यालय के संस्थापन को बनाये रखने के लिए अपेक्षित निधियों का वहन भारत सरकार और राजस्थान सरकार द्वारा 50:50 आधार पर किया जाता है।

वित्तीय वर्ष 2010-2011 के दौरान गैर-योजना शीर्ष के अधीन निर्वाचन विभाग के बजट के संबंध में सूचना निम्नलिखित है :

वित्तीय वर्ष 2010-2011 के लिए बजट का प्राक्कलन मांग 7 - (2015-निर्वाचन)

बजट शीर्ष		बजट का प्रावधान	अतिरिक्त प्रावधान	कुल बजट प्रावधान
1		2	3	4
102	निर्वाचन अधिकारी-कुल	13,38,49,000	—	13,38,49,000
103	निर्वाचक नामावलियों की तैयारी और मुद्रण	10,00,000,00	—	10,00,000,00
104	लोक सभा, संघ राज्यक्षेत्र और विधान सभा के साथ-साथ निर्वाचन के लिए व्यय	1,000	—	1,000
105	संसद् के लिए निर्वाचन पर व्यय	1,000	—	1,000
106	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/विधानमण्डल के निर्वाचन पर व्यय	1,000	—	1,000
108	मतदाताओं को फोटो पहचान पत्र जारी करना	3,00,00,000	—	3,00,00,000
कुल		26,38,52,000	—	26,38,52,000

अध्याय 15

अन्य सूचना जो विहित की जाये

(i) निर्वाचनों के संचालन के बारे में सामान्य सूचना

भारतीय संविधान ने संसद् और प्रत्येक राज्य के विधानमण्डल और भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचनों के संचालन के लिए सम्पूर्ण प्रक्रिया का अधीक्षण, निदेशन और नियन्त्रण भारत निर्वाचन आयोग में निहित किया है।

निर्वाचन संसद् द्वारा बनायी गयी विधियों से अनुपूरित सांविधानिक उपबंधों के अनुसार संचालित किये जाते हैं। मुख्य विधियां हैं— लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950, जो मुख्य रूप से निर्वाचक नामावली की तैयारी और पुनरीक्षण से संबंधित है, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 जो विस्तृत रूप से निर्वाचनों और निर्वाचन पश्चात् के विवादों के संचालन के समस्त पहलुओं से संबंधित है। भारत के उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि जहां अधिनियमित विधियां मौन हैं या उनमें निर्वाचन के संचालन में तत्कालीन स्थिति से कार्रवाई करने के लिए अपर्याप्त उपबंध हैं वहां निर्वाचन आयोग को समुचित रीति में कार्य करने के लिए संविधान के अधीन अवशिष्ट शक्तियां हैं।

निर्वाचन से संबंधित क्रियाकलापों पर अधिक जानकारी के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रकाशित पुस्तिका की अन्तर्वस्तु इत्यादि को भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट अर्थात् www.eci.nic.in से प्राप्त किया जा सकता है।

(ii) राजस्थान के बारे में सामान्य सूचना

(क) निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या

लोक सभा स्थान

निर्वाचन क्षेत्र का प्रकार	सामान्य	अ.जा.	अ.ज.जा.	कुल
निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या	18	4	3	25

विधान सभा स्थान

निर्वाचन क्षेत्र का प्रकार	सामान्य	अ.जा.	अ.ज.जा.	कुल
निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या	141	34	25	200

(ख) 15वीं लोकसभा में राजस्थान से प्रतिनिधिगण

क्र.स.	निर्वाचन क्षेत्र	निर्वाचित अभ्यर्थी	दल
1.	गंगानगर (अ.जा.)	श्री भरत राम मेघवाल	इण्डियन नेशनल कांग्रेस
2.	बीकानेर (अ.जा.)	श्री अर्जुन राम मेघवाल	भारतीय जनता पार्टी
3.	चूरू	श्री रामसिंह कास्वां	भारतीय जनता पार्टी
4.	झुंझुनू	श्री शीश राम ओला	इण्डियन नेशनल कांग्रेस
5.	सीकर	श्री महादेव सिंह	इण्डियन नेशनल कांग्रेस
6.	जयपुर ग्रामीण	श्री लाल चन्द कटारिया	इण्डियन नेशनल कांग्रेस
7.	जयपुर	श्री महेश जोशी	इण्डियन नेशनल कांग्रेस
8.	अलवर	श्री जितेन्द्र सिंह	इण्डियन नेशनल कांग्रेस
9.	भरतपुर (अजा)	श्री रतन सिंह	इण्डियन नेशनल कांग्रेस
10.	करौली-धौलपुर (अजा)	श्री खिलाडी लाल बैरवा	इण्डियन नेशनल कांग्रेस
11.	दौसा (अजजा)	श्री किरोडी लाल	निर्दलीय
12.	टोंक-सवाई माधोपुर	श्री नमो नारायण	इण्डियन नेशनल कांग्रेस
13.	अजमेर	श्री सचिन पायलट	इण्डियन नेशनल कांग्रेस
14.	नागौर	श्रीमती डॉ० ज्योति मिर्धा	इण्डियन नेशनल कांग्रेस
15.	पाली	श्री बद्री राम जाखड़	इण्डियन नेशनल कांग्रेस
16.	जोधपुर	श्रीमती चन्द्रेश कुमारी	इण्डियन नेशनल कांग्रेस
17.	बाड़मेर	श्री हरीश चौधरी	इण्डियन नेशनल कांग्रेस
18.	जालौर	श्री देवजी पटेल	भारतीय जनता पार्टी
19.	उदयपुर (अजजा)	श्री रघुवीर सिंह मीणा	इण्डियन नेशनल कांग्रेस
20.	बांसवाड़ा (अजजा)	श्री ताराचन्द भगोरा	इण्डियन नेशनल कांग्रेस
21.	चित्तौड़गढ़	सुश्री डॉ. गिरिजा व्यास	इण्डियन नेशनल कांग्रेस
22.	राजसमन्द	श्री गोपाल सिंह	इण्डियन नेशनल कांग्रेस
23.	भीलवाड़ा	डॉ. सी. पी. जोशी	इण्डियन नेशनल कांग्रेस
24.	कोटा	श्री इज्यराज सिंह	इण्डियन नेशनल कांग्रेस
25.	झालावाड़-बांरा	श्री दुष्यंत सिंह	भारतीय जनता पार्टी

(ग) राज्य सभा में राजस्थान से प्रतिनिधिगण

क्र.स.	नाम	दल
1	2	3
1.	श्री ओम प्रकाश माथुर	भारतीय जनता पार्टी
2.	डॉ. प्रभा ठाकुर	इण्डियन नेशनल कांग्रेस
3.	डॉ. ज्ञान प्रकाश पिलानिया	भारतीय जनता पार्टी
4.	श्री नरेन्द्र बुडानिया	इण्डियन नेशनल कांग्रेस
5.	श्री राम जेटमलानी	भारतीय जनता पार्टी
6.	श्री विजयेन्द्र पाल सिंह	भारतीय जनता पार्टी
7.	श्री अशक अली टाक	इण्डियन नेशनल कांग्रेस
8.	श्री अभिषेक मनु सिंघवी	इण्डियन नेशनल कांग्रेस
9.	श्री रामदास अग्रवाल	भारतीय जनता पार्टी
10.	श्री आनन्द शर्मा	इण्डियन नेशनल कांग्रेस